A Daily News Magazine
भोपाल
बुधवार, 26 नवम्बर, 2025
भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 23, अंक 86, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2
सुबह सवेरे

04 - न्यायपालिका स्वतंत्र है इसलिए संविधान सुरक्षित

05 - संविधान में लिखे शब्द नहीं, उसके भाव और नैतिकता महत्वपूर्ण

06 - सीएम केयर योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए औपचारिकताएँ...

07 - पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर भोपाल के कटारा-बर्रई...

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे के पीछे वजह क्या है?

अवतार सिंह

पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को संविधान की धारा 240 के दायरे में शामिल करने संबंधित बिल संसद में लाने की चर्चाओं के साथ चंडीगढ़ पर दावे को लेकर दोनों राज्यों में सियासत गरमा गई है। इससे पहले यह बात सामने आई थी कि केंद्र सरकार एक से 19 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में, चंडीगढ़ को संविधान की धारा 239 की जगह धारा 240 में शामिल करने को लेकर एक विधेयक पेश कर सकती है। लेकिन इस मामले पर विवाद होने के बाद गृह मंत्रालय ने रविवार को कहा कि शीतकालीन सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश करने का कोई इरादा नहीं है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस मामले पर केंद्र सरकार की निंदा की है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये कहा गया, 'संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ़ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं है।'

'चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नही है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है।' लोकसभा और राज्यसभा के 21 नवंबर के बुलेटिन के अनुसार, सरकार 1 दिसंबर, 2025 से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में 131वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 पेश करेगी।

मौजूदा समय में पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश) के प्रशासक हैं। मगर इस विधेयक के पास होने के बाद चंडीगढ़ में प्रशासक के रूप में एलजी (लेफ़्टिनेंट गवर्नर) की नियुक्ति की जा सकती है। पंजाब चंडीगढ़ पर अपना दावा क्यों करता है और भारत के इस 'ख़ूबसूरत शहर' को बसाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यह समझने के लिए इसका इतिहास जानें।

नई दिल्ली से लगभग 240 किलोमीटर दूर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित चंडीगढ़ की परिकल्पना 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान पंजाब की राजधानी लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के बाद की गई थी। चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह शहर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है, जिसकी योजना प्रसिद्ध फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कोर्बुज़िए ने बनाई थी। वेबसाइट के अनुसार, 'इसे बीसवीं सदी में भारत में शहरी नियोजन और आधुनिक वास्तुकला के बेहतरीन प्रयोगों में से एक माना जाता है।' लगभग 8 हज़ार साल पहले यह क्षेत्र हड़प्पावासियों के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता था।

जवाहरलाल नेहरू के सपने के अनुसार इस शहर की आधारशिला साल1952 में रखी गई थी। 1 नवंबर, 1966 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के दौरान चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बनाया गया। इसे एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया। इनमें से 'चंडीगढ़-योजनाबद्ध विकास का एक प्रतीक' नाम के भाषण में वह शहर और इसकी दूरदर्शी योजना के बारे में बात करते हैं।

इस प्रकाशित भाषण में नेहरू कहते हैं, 'मुझे बहुत खुशी है कि पंजाब के लोगों ने किसी पुराने शहर को अपनी नई राजधानी बनाने की ग़लती नहीं की। वह एक बहुत बड़ी ग़लती और मूर्खता होती। यह सिर्फ़ इमारतों का सवाल नहीं है। अगर आपने किसी पुराने शहर को राजधानी चुना होता, तो पंजाब मानसिक रूप से जड़ और पिछड़ा राज्य बन जाता।' उन्होंने कहा, 'इसलिए, चंडीगढ़ नामक एक नए शहर के निर्माण का निर्णय, नए जीवन और नई सोच का प्रतीक है और भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है।'

चंडीगढ़ शहर अपनी वास्तुकला और योजना के लिए जाना जाता है। शहर की वेबसाइट के अनुसार, नए शहर का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 1950 में पहली बार एक अमेरिकी फर्म को काम पर रखा गया था। अल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोविकी ने पंखे के आकार का मास्टर प्लान तैयार किया था।

नोविकी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, मायर ने काम जारी न रखने का फैसला किया। इसके बाद, 1951 में, ले कोर्बुज़िए के नेतृत्व में एक टीम को इस काम की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। ले कोर्बुज़िए को मैक्सवेल फ्राई, जेन बी. ड्रू और पियरे जेनेरेट ने सहयोग किया।

इस टीम को अन्य लोगों के अलावा युवा भारतीय योजनाकारों एमएन शर्मा और एआर प्रभावलकर का भी साथ मिला। ले कोर्बुज़िए ने राजधानी परिसर का मास्टर प्लान और डिजाइन तैयार किया तथा शहर की मुख्य इमारतों का डिज़ाइन बनाया।

चंडीगढ़ का निर्माण पंजाब के लगभग 27 गांवों को उजाड़कर किया गया था, यही कारण है कि पंजाब के लोग और राजनीतिक दल इस पर अपना अधिकार मानते हैं।

वरिष्ठ पत्रकार जसपाल सिद्धू कहते हैं कि पंजाब की राजधानी लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के बाद यह लंबे समय तक शिमला में ही रही और पंजाब विश्वविद्यालय भी होशियारपुर में चला गया। उनके अनुसार, 'चंडीगढ़ का निर्माण पंजाब की राजधानी, पंजाब विश्वविद्यालय और कई अन्य चीज़ों को एक साथ लाने के लिए किया गया था। इसके लिए पंजाब के 27 गांवों को खाली करवाया गया, जिसके कारण पंजाब चंडीगढ़ पर अपना दावा करता है।' विभाजन के बाद नवंबर 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (1966) के माध्यम से वर्तमान पंजाब और हरियाणा अस्तित्व में आए। दोनों राज्यों की इस राजधानी में कर्मचारियों के लिए 60:40 का अनुपात बनाए रखा गया। शिरोमणि अकाली दल ने 1982 में धर्मयुद्ध मोर्चा का ऐलान कर दिया था, जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब को देने की मांग भी शामिल थी।

1985 में पंजाब में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और शिरोमणि अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच एक समझौता हुआ था। इसे 'राजीव-लोंगोवाल समझौता' कहा गया। इस समझौते में पानी के मुद्दे, हिंसा के निर्दोष पीड़ितों को मुआवज़ा देने समेत एक और अहम मुद्दे पर सहमति बनी थी। वह ये कि चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाएगा और बदले में हरियाणा को पंजाब के हिंदी भाषी इलाके दिए जाएंगे।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

हर कालखंड में राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बने हैं

● पीएम बोले-अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का है लक्ष्य ● राम मंदिर पर फहराई धर्मध्वजा, मोदी हुए भावुक ● कहा- इसने राम को भी काल्पनिक बता दिया है

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11.50 बजे अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगी। पीएम भावविभोर हो गए। उन्होंने धर्मध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पीएम ने कहा- आज सदियों के घाव भर गए हैं। हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। यह मानसिकता इतनी हावी हो गई थी कि वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया गया। हर कालखंड राम के विचार हमारी प्रेरणा बने हैं।

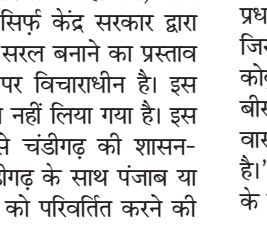

सदियों की वेदना आज विराम पा रही है

सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों से आस्था डिगी नहीं, एक पल भी विश्वास टूटा नहीं। धर्म ध्वजा केवल ध्वजा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। आने वाले सदियों तक यह ध्वज प्रभु राम के आदर्शों का उद्घोष करेगा। यह ध्वज प्रेरणा देगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अयोध्या वह भूमि है, जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यह वही भूमि है, जहां राम ने जीवन शुरू किया। इसी धरती ने बताया कि एक व्यक्ति अपने समाज की शक्ति से कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है।

भागवत बोले-

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा– राम मंदिर आंदोलन में लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। उन्होंने अपने प्राण अर्पण किए और अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे, वे भी मन में इच्छा करते रहे कि मंदिर बनेगा और आज मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। ध्वजारोहण हो गया। हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। रथ चलाने के लिए सात–सात घोड़े हैं, उन्हें नियंत्रित करने के लिए लगाम है। रस्सा नहीं है, सारथी नहीं है तो ऐसी गाड़ी नहीं चल सकती। शांति बांटने वाला भारतवर्ष है।

सीएम योगी बोले-

सीएम योगी ने कहा कि ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, बल्कि नए युग का शुभारंभ है। भाजपा सरकार बनने पर 2014 में जिस संभावना, संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ, आज वही तपस्या और अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा साकार हुई। श्रीराम मंदिर पर फहराता केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य–न्याय और राष्ट्रधर्म का भी प्रतीक है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। सभी ने 11 वर्षों में बदलते भारत को देखा है। 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदलीं, लेकिन आस्था अडिग रही। आस्था न झुकी, न रुकी। जन–जन का विश्वास अटल है।

शरद की सुबह

कांच के टुकड़ों को
मुट्ठी में दबाता कौन है
ज़िन्दगी तू ही बता
तुझको निभाता कौन है
हम भी ग़ैरत मन्द थे
मजबूरियां कुछ भी करें
इतनी आसानी से सर
वरना झुकाता कौन है
क़हक़हे बिकने लगे हैं
आज कल बाज़ार में
रोज़ अपने आंसुओ में
अब नहाता कौन है
आप ही मुजरिम नहीं
मैं भी गुनहगारों में हूँ
सर बचा लेते हैं सब
पगड़ी बचाता कौन है
आप की ज़र्रा नवाज़ी
आप ने पूछा हमें
जेब ख़ाली हो तो फिर
ख़ातिर में लाता कौन है।

– हसीब सोज़

मोहन कैबिनेट की बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय

शहीद के भाई को सब इंस्पेक्टर बनाएंगे, नपा अध्यक्ष का सीधे जनता से चुनाव कराने का विधेयक मंजूर

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस-नक्सल मुठभेड़ मे 19 नवम्बर 2025 को वीरगति को प्राप्त हुए निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) श्री आशीष शर्मा, हॉक फोर्स बालाघाट के परिजन को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही उनके छोटे भाई श्री अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। दिवंगत निरीक्षक श्री ब्आशीष शर्मा अत्यंत होनहार, प्रतिभाशाली और साहसी थे। उन्हें 2 बार राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। इसके पहले वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री के द्वारा आंतरिक सेवा पदक और 2023 में दुर्गम सेवा पदक प्रदान किया गया था। साथ ही राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023 मे आउट ऑफ प्रमोशन दिया गया। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे मातरम् गान के साथ शुरू हुई।

नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के निर्वाचन संबंधी विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति– मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाने संबंधी विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति दी गयी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्ष 1999 से 2014 तक नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाते रहें है। वर्ष 2022 में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से वार्डों के निर्वाचित पार्षदों के द्वारा कराए गए। महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराया जा रहा है।

कुछ भी करें, हमें जाति के आधार पर समाज को बांटना नहीं चाहिए

नई दिल्ली (एजेंसी)। हम चाहे कुछ भी करें, हमें समाज को जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मंगलवार को महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले की सुनवाई के दौरान यह बड़ी लकीर खींच दी है। यह टिप्पणी तब आई जब विभिन्न पक्षों ने स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण की 50 फीसदी सीमा लागू रहने पर अन्य पिछड़ा वर्ग को जमीनी स्तर के लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व से वंचित किए जाने की आशंका पर चिंता जताई है। जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर को ही यानी एक दिन पहले ही सीजेआई पद की शपथ ली है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि चूंकि महाराष्ट्र के कई इलाकों में आदिवासी आबादी अच्छी-खासी है, इसलिए उन इलाकों में अकेले एससी-एसटी आरक्षण ही 50 फीसदी होगा। ऐसे में ओबीसी आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 1931 के बाद से कोई जाति जनगणना नहीं हुई है।

TAGORE INTERNATIONAL LITERATURE & ARTS FESTIVAL
विश्व रंग
भारतीय संस्कृति, वैश्विक मंच!

म.प्र. के राज्यपाल और मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति करेंगे विश्वरंग का शुभारंभ

27 नवंबर को आगाज- चार दिन, 90 सत्र, 35 देश, 1000 प्रतिभागी

भोपाल। जाड़े की गुलाबी दस्तक के साथ एक बार फिर भोपाल की वादियाँ विश्व रंग से गुलज़ार हो रही हैं। टैगोर अन्तरराष्ट्रीय साहित्य तथा कला महोत्सव अपनी सातवीं पादान तय करता चार दिनों तक विभिन्न गतिविधियों का अनूठा ताना-बाना लिए रवीन्द्र भवन के विशाल परिसर में आयोजित होगा। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, विश्वरंग फाउंडेशन और उसके सहयोगी केन्द्रों की पहल पर म.प्र. शासन संस्कृति विभाग सहित देश-विदेश की पचास से भी अधिक संस्थाओं की भागीदारी से यह विशाल समागम आकार ले रहा है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मूर्धन्य चिंतकों, विचारकों और विशेषज्ञों के साथ ही विश्व के 35 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि यहाँ साझा संस्कृति की मिसाल पेश करेंगे। किसी भी अशासकीय संस्था के संयोजन में होने वाला यह एशिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कुंभ है। 27 से 30 नवंबर के दरमियान इस महोत्सव में अस्सी से भी अधिक सत्र संवाद, विचार, विमर्श और कलात्मक अभिव्यक्ति का खुला मंच साबित होंगे।

यह जानकारी विश्व रंग के महानिदेशक तथा रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे ने प्रेस वार्ता में दी। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री चौबे ने बताया कि 2019 में शुरू हुई विश्व रंग की यात्रा अपने सातवें चरण पर और भी व्यापक, विस्तृत और बहुरंगी हो गयी है। भोपाल से शुरू हुआ यह कारवाँ मॉरिशस, श्रीलंका, नई दिल्ली और मुंबई होता हुआ नई उर्जा और नए आत्मविश्वास से भरकर पुनः भोपाल लौटा है। 27 नवंबर को रंगारंग विश्व रंग शोभा यात्रा के बाद शाम 6 बजे म.प्र. के राज्यपाल माननीय मंगुभाई पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में इस महोत्सव का शुभारंभ होगा। इस अवसर पर मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन, म.प्र. के संस्कृति मंत्री श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी और रबीन्द्रनाथ टैगोर वि.वि. के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

पत्रकार वार्ता को विश्व रंग के सहनिदेशक तथा स्कोप स्किल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी, आईसेक्ट ग्रुप ऑफ़ यूनिवर्सिटी की निदेशक डॉ. अदिति चतुर्वेदी वत्स, उपसंचालक, मध्यप्रदेश संस्कृति संचालनालय डॉ. पूजा शुक्ला, प्रवासी साहित्य एवं संस्कृति शोध केन्द्र के निदेशक डॉ. जवाहर कर्नावट तथा टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केन्द्र के निदेशक विनय उपाध्याय ने भी संबोधित किया।

चौबे ने बताया कि देश-दुनिया के एक हज़ार से भी अधिक भाषाविद्, साहित्यकार, शिक्षा शास्त्री, विज्ञान-तकनीकी विशेषज्ञ, आलोचक, संस्कृतिकर्मी, पर्यावरणविद् सहित मीडिया, कला, सिनेमा और मनोरंजन जगत की जानी-मानी हस्तियाँ विश्व रंग का हिस्सा बनेंगी। विरासत और आधुनिकता के इस अद्वितीय संगम में ज्ञान-विज्ञान की नई दिशाओं की ओर बढ़ते विश्व की नई इबारतों को पढ़ना दिलचस्प होगा। विश्व रंग इस अर्थ में संवाद का एक विशाल मंच तैयार कर रहा है।

विश्व रंग के सहनिदेशक डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने बताया कि इस महोत्सव की लोकप्रियता का ग्राफ उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। सातवें संस्करण से जुड़ने के लिए विश्व रंग पोर्टल पर हज़ारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। नए विषय और नए विशेषज्ञों की भागीदारी इसे अपने समय में प्रासंगिक बना रही है। उन्होंने फैज़ल मलिक, दिव्या दत्ता, स्वानंद किरकिरे, राधाकृष्ण पिल्लै, प्रिया मलिक, नीलोत्पल मृणाल, सौरभ द्विवेदी, देवदत्त पटनायक, सुमित अवस्थी, पुष्पेष पंत आदि का जिक्र करते हुए कहा कि इन शख्सियतों ने विश्व रंग के आमंत्रण को आत्मीयता से स्वीकार किया है। ये आज के युवाओं के मोटीवेटर और मेंटर हैं। विश्व रंग के बहुरंगी विन्यास की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ साझा करते हुए सहनिदेशक डॉ. अदिति चतुर्वेदी वत्स ने बताया कि शुभारंभ संध्या 27 नवंबर का प्रमुख आकर्षण श्रीकृष्ण लीला का भव्य मंचन है। इसे नई दिल्ली के श्रीराम कला केन्द्र के कलाकारों की बड़ी टीम लाईट एंड साउंट के स्पेशल इफेक्ट्स के साथ प्रस्तुत करेगी। समापन दिवस 30 नवंबर को राजमाता अहिल्याबाई की जीवन गाथा पर केन्द्रित महानाट्य 'अहिल्या रूपेण संस्थिता' का मंचन रवीन्द्र भवन के अंजनी सभागार में होगा।

– शेष पेज 2 पर देखे

भोपाल का तापमान

अधिकतम 27 °c | न्यूनतम 23°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 26 नवंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

भारत में रह रहे यहूदी जनजाति की होगी 'घर वापसी'

● सदियों से रहने वाले यहूदियों को वापस ले जाएगा इजरायल

तेल अवीव/नई दिल्ली (एजेंसी)। इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने उस फैसले को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत में रहने वाले यहूदी जनजातियों को वापस ले जाना है। रविवार को इस फैसले को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत इजरायल ने 2030 तक बेनी मेनाशे समुदाय के करीब 5,800 सदस्यों को शामिल करने के प्लान को मंजूरी दे दी है। भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों मिजोरम और मणिपुर में रहने वाले ये यहूदी

नेतन्याहू सरकार ने दी मंजूरी, जनसंख्या बढ़ाना है बड़ा लक्ष्य

समुदाय के लोग सदियों से भारत में रह रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार ने इन्हें धीरे-धीरे उत्तरी इजरायल के गैलिली इलाके में बसाने को मंजूरी दी है। हालांकि ये क्षेत्र काफी संवेदनशील है और यह इलाका, लेबनान के हिज़्बुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप के साथ लड़ाई से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। पिछले दो सालों से चल रही लड़ाई में इस इलाके में रहने वाले हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को जरूरी और जायोनी बताया और कहा कि इससे इजरायल का उत्तरी इलाका मजबूत होगा। पहला समूह 1,200 लोगों का होगा।

आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई न हुई तो आंदोलन का अगला चरण, ज्ञापन सौंपा

भोपाल। अजाक्स संगठन के प्रांतीय अधिवेशन में नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष और विवादित आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा सवर्ण समाज की बेटियों के बारे में अत्यंत आपत्तिजनक निंदनीय असंसदीय बयान के विरोध में आंदोलन के प्रथम चरण में उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और सचिव (कार्मिक) एम सेल्वेनद्रन को सुधीर नायक अध्यक्ष मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। मंत्रालय संघ के पूर्व वरिष्ठ कर्मचारी नेता अनिल तिवारी विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर मंत्रालय संगठन के पदाधिकारी आशीष सोनी, दयानंद उपाध्याय, सतीश शर्मा, श्याम बिहारी दुबे सपाक्स के सचिव अमरेश गालर उपस्थित थे। बड़ी संख्या में मंत्रालय के सामान्य वर्ग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। महिला कर्मचारियों की उपस्थिति बड़ी संख्या में थी। उपमुख्यमंत्री ने अपने चैंबर से बाहर आकर ज्ञापन लिया और न्यायोचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। तत्पश्चात सचिव कार्मिक श्री एम सेल्वेनद्रन जी को भी ज्ञापन देकर श्री संतोष वर्मा जी के विरुद्ध आईएएस आचरण नियमों के तहत कार्यवाही की मांग की गयी। इस अवसर पर लिपिक संघ की ओर से श्री एम एल शर्मा, श्री संतोष दीक्षित, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की ओर से विजय रघुवंशी उमाशंकर तिवारी कर्मचारी मंच की ओर से अशोक पाण्डे जी भी उपस्थित रहे और अपने संगठनों की ओर से भी समर्थन जताया। युवा ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष रामनारायण अवस्थी की ओर से भी उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। नायक ने चेतावनी दी कि यदि दो तीन दिन के भीतर संतोष वर्मा के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो आंदोलन के अगले चरण घोषित किए जायेंगे।

गुणवत्ता का नहीं मिला सड़क निर्माण, हटाने के दिए निर्देश

मुख्य अभियंता ने किया औचक निरीक्षण

भोपाल। सड़क निर्माण में गुणवत्ता का अभाव मिलने पर मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता ने निम्न स्तर के कार्य को हटाने एवं सील कोट को दोबारा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य अभियंता विजय कुमार गुप्ता विगत दिवस गुना जिले के बामोरी में 2 करोड़ 98 लाख की लागत से बन रही सड़क का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। एबी रोड - आगरा रोड पर पिपरोदा हसली तक की इस सड़क के निरीक्षण में मुख्य अभियंता ने पाया कि सड़क के कुछ हिस्से में बीटी कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं है और सड़क के कुछ हिस्सों में सील कोट भी क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने तत्काल महाप्रबंधक को बीटी के घटिया कार्य को हटाने और जहाँ आवश्यक हो, सील कोट को दोबारा करने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता का निर्देश मिलते ही विभागीय अधिकारियों ने निम्न स्तर के निर्माण कार्य को निर्माण एजेंसी से हटवाया। उक्त सड़क की लंबाई 4.8 किमी है। मुख्य अभियंता के औचक निरीक्षण के दौरान सोहन ग्रेवाल महाप्रबंधक एवं ओ पी दसौरा मुख्य महाप्रबंधक सहित एस्क्यूसी के टीम लीडर, प्रभारी सहायक प्रबंधक उपस्थित थे।

गुरुद्वारा जाने से इनकार करने पर क्रिश्चियन आर्मी अफसर बर्खास्त

● सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, बोला-ऐसा व्यक्ति फोर्स में रहने लायक नहीं

उच्चा न्यायालय ने कहा- सेना सेक्युलर,यहां अनुशासन ही है सर्वोपरि

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सैमुअल कमलेसन नाम के एक क्रिश्चियन आर्मी अफसर को फटकार लगाई, जिसे गुरुद्वारे जाने से मना करने पर सेना ने बर्खास्त कर दिया था। कोर्ट ने अफसर को झगड़ालू और आर्मी के लिए मिसफिट करार दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने क्रिश्चियन अफसर को सेना की नौकरी से हटाने के फैसले का समर्थन किया। साथ ही कहा कि उन्होंने अपने साथी सिख सैनिकों की आस्था का सम्मान नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि यह आचरण गंभीर अनुशासनहीनता है।

अफसर ने अपने धर्म को सबसे ऊपर रखा

सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मई में सेना के फैसला को सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने माना था कि अफसर के व्यवहार से रेजीमेंट की एकजुटता, अनुशासन और सेक्युलर मूल्यों को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने सेना में ऐसे व्यवहार को युद्ध स्थितियों में नुकसानदेह बताया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कमलेसन ने अपने सीनियर अफसरों के आदेश से ऊपर अपने धर्म को रखा।

सुप्रीम कोर्ट की 3 बड़ी बातें

आप चाहे कितने ही अच्छे अफसर हों, लेकिन आप सेना में अनुशासन नहीं रख पाए, तो इसका मतलब है कि आप अपने ही सैनिकों की भावनाओं का सम्मान करने में असफल रहे। गुरुद्वारा सबसे अधिक सेक्युलर (सार्वभौमिक) जगहों में से एक माना जाता है। जिस तरह वह व्यवहार कर रहे हैं, क्या यह दूसरे धर्मों का अपमान नहीं है। आर्टिकल 25 सिर्फ मूल धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करता है। लेकिन हर भावना धर्म नहीं होती। सेना का अनुशासन सर्वोपरि है। लीडर्स तो उदाहरण पेश करते हैं। एक कमांडिंग अफसर होने के नाते उनसे उम्मीद थी कि वे अपने सैनिकों की एकजुटता देखेंगे।

मानव समाज की रचना का एकात्म दर्शन भारतीय जीवन शैली के सोच के अनुरूप

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पं दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन पर उद्बोधन

नई दिल्ली। भारतीय संस्कृति के सच्चे अग्रदूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय का समग्र चिंतन भौतिकता की मायावी चमक के विपरीत वैश्विक कल्याण की विशुद्ध भारतीय परिकल्पना के सनातन प्रवाह का अमृत कलश है जिसकी आराधना का केंद्र समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ वह अंत्यज है जिसका समग्र उत्थान अपेक्षित है। यह कल्पना नहीं, वरन यूरोपीय पुनर्जागरण के अधूरे अपुष्ट मानववाद से भिन्न वर्ग संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की खंडित दृष्टि को चुनौती देता हुआ भारतीय जीवन शैली के अनुरूप प्रगतिशील मानव समाज की रचना का एकात्म दर्शन है।

ये उद्गार डॉ. अशोक कुमार भार्गव पूर्व कमिश्नर रीवा एवं शहडोल संभाग ने विश्व हिंदी परिषद एवं भारतीय दार्शनिक के अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में विज्ञान भवन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 'पं दीनदयाल उपाध्याय : प्रकृति,संस्कृति और दर्शन' विषय पर विशिष्ट वक्ता के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पंडित जी ने सिद्धांत की बलि चढ़ाकर मिलने वाली विजय को पराजय से भी ज्यादा बुरा मान और वे ऐसी विजय के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने राजनीति में सदैव वैचारिक निष्ठा और आचरण की शुचिता को महत्ता दी। भारत ही वह महान सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती हुई एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। इसलिए कि जब युगों का इतिहास लिखा जाए, तो उसमें यह अंकित हो कि जब शासन प्रशासन अथवा राजसत्ता का प्रमुख पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है तभी रामराज की परिकल्पना साकार होती है। क्योंकि, कोई

भी व्यवस्था मनुष्य के कुशल क्षेम के बिना सफल नहीं हो सकती।

पंडित जी राष्ट्र निर्माण के मंदिर में महर्षि दधीचि की भांति अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीतरागी साधक थे जो सत्ता के साकेत से दूर रहकर राष्ट्रीय चिंतन में विचारों की एकता, तथ्यों की एकता और मूल्यों की एकता पर बल देते थे। उनके लिए राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है केवल भारत नहीं ।यदि माता शब्द हटा दीजिए तो भारत भूमि का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा। डॉ. भार्गव ने कहा कि आज समग्र संसार युद्ध की विभीषिका, भय, असुरक्षा आतंक और प्राकृतिक प्रकोपों के घोर नैराश्य के अंधकार में डूबा हुआ है।ऐसी विषम स्थिति में पंडित जी का मानव केंद्रित मानव उत्कर्ष को समर्पित एकात्म दर्शन कल भी प्रासंगिक था आज भी प्रासंगिक है।

इस अवसर पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव को पं दीनदयाल उपाध्याय पर उनके उत्कृष्ट आलेख के लिए संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य इथियोपिया दूतावास के गेब्रु टेकले विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. विपिन कुमार और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के संयोजक एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो रामनारायण पटेल ने सम्मानित किया। इस सम्मेलन में मुख्य अभ्यागत लद्दाख के उपराज्यपाल कवींद्र गुप्ता, केसी त्यागी, पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ नेता रेखा शर्मा, राज्य सभा सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, सूरीनाम और इथियोपिया दूतावास प्रतिभागी सहित देश के अन्य विद्वतजन तथा शोधार्थी छात्र एवं श्रीमती आशा भार्गव आदि सम्मिलित थे।

आर्मेनिया ने भारत के साथ तेजस फाइटर जेट पर बातचीत रोकी !

● दुबई एयर शो हादसे के बाद 1.2 अरब डॉलर के सौदे को झटका

येरेवान (एजेंसी)। दुबई एयरशो में तेजस लड़ाकू विमान हादसे के बाद एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आर्मेनिया ने भारत के साथ तेजस लड़ाकू विमान सौदे पर बातचीत रोक दी है। इस खतरनाक हादसे में तेजस एयरक्राफ्ट के पायलट, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई थी। जेरूसलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आर्मेनिया, भारत सरकार और एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी हाल के साथ 1.2 अरब डॉलर में में 12 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील के आखिरी स्टेज पर था। हमारा अखबार इस दावे की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि दुबई एयरशो में 2 दिसंबर को खतरनाक हादसा हुआ था। जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई। इस घटना ने पूरी दुनिया के झकझोर कर रख दिया है। रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि हादसे के बाद आर्मेनिया ने विमान की समीक्षा होने तक बातचीत रोकने का फैसला किया है।

छह जोन क्रैक टीम

कई राज्यों के नेताओं की ड्यूटी

बीजेपी का बंगाल प्लान तैयार,2026 फतह की तैयारी

कोलकाता (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजे आने के साथ ही अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में मैजिक नंबर 148 है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 38 फीसदी वोट के साथ 77 सीटें जीती थीं। पांच साल पहले बीजेपी ने सीटों की संख्या और वोट प्रतिशत में

लंबी छलांग लगाई थी मगर टीएमसी से काफी पीछे रह गई थी। तृणमूल कांग्रेस 48 फीसदी वोट प्रतिशत के साथ 215 सीटें हासिल कर जीत की हैट्रिक लगा दी थी।

पहाड़ साधेंगे प्रदीप,राढ़बंग में छत्तीसगढ़ी नेता को जिम्मा

रिपोर्टस के अनुसार, बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर पश्चिम बंगाल को 6 चुनावी जोन में बांटा है। दार्जिलिंग और पहाड़ी क्षेत्र की जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को सौंपी गई है। उनके साथ पूर्व आईपीएस पंकज कुमार सिंह को रखा गया है। पंकज कुमार सिंह गोरखा नेताओं के साथ अलग गोरखालैंड के लिए बातचीत में मध्यस्थ भी रहे हैं। यह टीम दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और कूचबिहार में काम करेगी। राढ़बंग बेल्ट यानी पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, पुरबा और पश्चिम बर्धमान,आसनसोल में छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश महामंत्री पवन कुमार साईं और उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की ड्यूटी लगाई गई है। यह टीम आसनसोल-बर्नपुर-दुर्गापुर जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट में हिंदी भाषी वोटरों पर फोकस करेगी।

टीएमसी के गढ़ में हिमाचल-हरियाणा के नेता

हावड़ा-हुगली-मेदिनीपुर इलाका हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रदेश महामंत्री पवन राणा और हरियाणा के पूर्व सांसद संजय भाटिया को सौंपी गई है। यह इलाका टीएमसी का गढ़ रहा है। इन नेताओं के सामने बीजेपी की हारी सीटों पर जीत के लिए माहौल और प्लानिंग की चुनौती है। शहरी इलाके कोलकाता मेट्रोपॉलिटन और दक्षिण 24 परगना के प्रभारी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महामंत्री रहे एम. सिद्धार्थन हैं। उनके साथ कर्नाटक के बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि को तैनात किया गया है। बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों की तरह बंगाल में भी शहरी वोटरों को हासिल करना चाहती है, जहां टीएमसी के ट्रेडिशनल वोटर हैं।

350वां शहीदी दिवस पर पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर को नमन कर नवाया शीश

हरियाणा(एजेंसी)। हरियाणा कुरुक्षेत्र में 'हिंद की चादर' श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ मना रही है। इस मौके पर एक बड़ा समागम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 350वें शहीदी दिवस के मौके पर हरियाणा पहुंचे। इस दौरान पीएमनरेंद्र मोदी ने हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए शीश नवाया। मुगल आक्रांताओं को लेकर पीएम मोदी ने कहा हम सब जानते हैं कि मुगलों ने वीर साहिबजादों के साथ भी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं। वीर साहिबजादे दीवार में जीवित चिनवाए जाने को तैयार हो गए, लेकिन अपने कर्तव्य और धर्म को नहीं छोड़ा।

4300 किमी दूर दिल्ली पहुंचा इथोपिया की राख का 'गुबार'

● 12 हजार साल बाद फटा ज्वालामुखी, 15 किमी ऊंचा उठा

अदीस अबाबा (एजेंसी)। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12 हजार साल बाद अचानक रविवार को फट गया। इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाईऑक्साइड करीब 15 किमी ऊंचाई तक पहुंच गई। यह लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। सोमवार रात करीब 11 बजे यह राख इथियोपिया से 4300 किमी दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली-एनसीआर और पंजाब तक फैल गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि राख के बादल मंगलवार शाम 7.30 बजे तक भारत से साफ हो गए और चीन की ओर बढ़ गए हैं। इस गुबार की वजह से एअर इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें रद्द कर दी थीं। एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इस गुबार की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर काफी कम हुआ।

पेज -1 का शेष

म.प्र. के राज्यपाल और मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति करेंगे विश्वरंग का शुभारंभ

प्रयास रंग समूह नागपुर के पचास से भी अधिक कलाकारों ने इसे प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रियंका शक्ति ठाकुर के निर्देशन में तैयार किया है। इसके अलावा जनजातीय प्रकोष्ठ 'आदिरंग' में पारंपरिक शिल्पों, नृत्य-संगीत तथा हेरीटेज फ़िल्मों- चंदेरी, गणगौर और संजा के प्रदर्शन होंगे।

मध्यप्रदेश संस्कृति संचालनालय की डॉ. पूजा शुक्ला ने अपने वक्तव्य में कहा कि विश्वरंग आज अपने सातवें वर्ष में वृहद रूप ले चुका है। प्रवासी साहित्य तथा संस्कृति शोध केन्द्र के निदेशक डॉ. जवाहर कर्णावट ने 'विश्व रंग' में प्रतिभागी देशों और उनकी प्रस्तुतियों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि 35 से अधिक देशों के 60 प्रतिनिधि विश्व रंग में सम्मिलित होंगे। यूक्रेन का आठ विद्यार्थियों का दल हिंदी नाटक प्रस्तुत करेगा। वहीं गिरमिटिया देश में भारतीयों की विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी 'कुली से कुलीन' तक को देखना दुर्लभ अनुभव होगा। इसे शोधार्थी दीप्ति अग्रवाल ने संयोजित किया है।

टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केन्द्र के निदेशक विनय उपाध्याय ने विश्व रंग के सांस्कृतिक प्रकल्प 'मंगलाचरण' और 'पूर्वरंग' की गतिविधियाँ साझा की। उन्होंने बताया कि ध्रुपद गुरूकुल संस्थान द्वारा ध्रुपद वृन्द, अनिरूद्ध जोशी द्वारा सितार पर लोक संगीत, उमेश तरकसवार के संयोजन में स्वाधीनता संग्राम के गीतों पर आधारित 'देश राग' और राजीव सिंह द्वारा 'सतवाणी' अध्यात्मिक संगीत की प्रस्तुतियाँ भारतीय संस्कृति की सुरम्य विरासत का जीवंत साक्ष्य बनेंगी। गुरूदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की सरज़मीं के बांग्ला संगीत की अनुगूँजों को समेटे कोलकाता के शुभव्रत सेन उपस्थित रहेंगे, तो मध्यप्रदेश बुंदेलखंड और मालवा की मटियारी चहक-महक लिए लोक कलाकारों के दल भी विश्व रंग के आंगन को रौशन करेंगे।

विश्व रंग मानद अलंकरण- हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ सृजन करने और विश्व स्तर पर अपनी रचनात्मक उपस्थिति दर्ज करने वाली छः विभूतियों को विश्व रंग मानद अलंकरण से विभूषित किया जाएगा। इस बार के चयनित साहित्यकारों में श्रीमती ममता कालिया (हिन्दी), हरीश मीनाश्रु (गुजराती), चन्द्रभान खयाल (उर्दू), एच. एन. शिवप्रकाश (कन्नड़), लक्ष्मण गायकवाड़ (मराठी) और परेश नरेन्द्र कामत (कोंकणी) शामिल हैं। 27 नवंबर की शाम विश्व रंग के उद्घाटन सत्र में अलंकरण भेंट किये जाएंगे।

सरज़मीं पर सितारे- विश्व रंग के इन्द्रधनुषी ताने-बाने में भाषा, साहित्य संस्कृति, कला, मीडिया, शिक्षा, पर्यावरण, विज्ञान, टेक्नालॉजी और मनोरंजन की दुनिया के अनेक सितारों की महफ़िल सजेगी। इनमें पद्मश्री, साहित्य अकादेमी, संगीत नाटक अकादेमी तथा अनेक राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत जानी-मानी हस्तियाँ हैं। इनमें प्रमुख हैं डॉ. नंदकिशोर आचार्य, ममता कालिया, शिवमूर्ति, ज्ञानप्रकाश विवेक, स्वानंद किरकिरे, अनामिका, अष्टभुजा शुक्ल, मुकुल शर्मा, नर्मदाप्रसाद उपाध्याय, दिव्या माथुर, महादेव टोप्पो, उर्मिला शिरीष, मनीषा कुलश्रेष्ठ, विनोद तिवारी, ओम थानवी, पुष्पेष पंत, दामोदर खड़से, मुरलीधर चाँदनीवाला, डॉ. लता मुंशी, कविता शाजी, सुचित्रा हरमलकर, विकास मिश्र, लक्ष्मण गायकवाड़, नरेन्द्र कामंत, हरीश मीनाश्रु, अशोक भौमिक, लीलाधर मंडलोई, प्रयाग शुक्ल, विनय उपाध्याय, कुणाल सिंह, मोहन सगोरिया, वसंत निरगुणे, स्वाती उखले, मनीषा शास्त्री, राजेश व्यास, संजय पटेल, रोहित रूसिया, जितेन्द्र श्रीवास्तव, सविता भार्गव, नीलेश रघुवंशी, राधाकृष्ण पिल्लई, फैज़ल मलिक, दिव्या दत्ता, प्रिया मलिक, सीमा रायजादा, विकास दवे, मुकेश वर्मा, बलराम गुमास्ता, संजय सिंह राठौर, विकास अवस्थी, मुदित श्रीवास्तव, राजेश व्यास, स्वरांगी साने। ये शख्सियतें विभिन्न विषयों पर रोचक संवादों के साथ ही सांस्कृतिक परिवेश को अपनी कलात्मक उर्जा से समृद्ध करेंगी।

रवीन्द्र भवन के हंस ध्वनि, अंजनी और गौरांजनी स्थायी सभागारों के अतिरिक्त टैगोर, वनमाली, अभिमन्यु अनत, शांति निकेतन, शारदा और चित्र-वीथि नामकरण से निर्मित सभागारों में समानांतर विचार सत्र होंगे। यहाँ अन्य उल्लेखनीय चित्रकला संवाद और प्रदर्शनी तथा विकसित भारत में साहित्य तथा कलाओं की भूमिका पर परिसंवाद होंगे। देश के प्रख्यात चिंतक, कला गुरू, चित्रकार और शोधार्थियों का महत्वपूर्ण समागम होगा।

दस्तावेज़ी साहित्य का लोकार्पण- विश्व रंग के बुनियादी उद्देश्य और उसकी वैचारिकी पर केन्द्रित महत्वपूर्ण किताबों और पत्रिकाओं के विशेषांकों के लोकार्पण विभिन्न सत्रों में होंगे। पचास से भी अधिक देशों में हिन्दी की रचनात्मकता पर केन्द्रित विस्तृत रिपोर्ट 'विश्व में हिन्दी' तथा विश्व रंग परिवार की पत्रिकाओं 'इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए', 'रंग संवाद', 'वनमाली कथा' और 'विश्व रंग संवाद' के विशेषांकों के साथ ही आईसेक्ट प्रकाशन की अन्य पुस्तकों की वृहद श्रृंखला होगी।

जनजातीय प्रकोष्ठ 'आदिरंग'- विश्व रंग का एक और विशेष प्रकोष्ठ है 'आदिरंग'। रवीन्द्र भवन में टंट्या भील सभागार आदिरंग की गतिविधियों का केन्द्र होगा। यहाँ जनजातीय साहित्य, संस्कृति, कला और पारंपरिक शिल्प कला कौशल पर एकाग्र वैचारिक सत्रों के साथ ही विश्व रंग फाउण्डेशन द्वारा निर्मित दो हेरिटेज फ़िल्मों 'गणगौर गाथा' तथा 'संजा' के प्रदर्शन भी होंगे। इस प्रकोष्ठ में जनजातीय विरासत पर केन्द्रित शिल्पों और चित्रों की दीर्घा भी आकर्षण का केन्द्र होगी। 'कठपुतली' कला की जनसंचार उपयोगिता पर प्रस्तुति-सह-प्रदर्शन भी होगा। साथ ही पारंपरिक व्यंजनों की सौगात भी होगी।

समापन समारोह में पुरस्कृत होंगे विश्व हिन्दी ओलंपियाड के विजेता- विश्व रंग का औपचारिक समापन 29 नवंबर की शाम 6 बजे रवीन्द्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में होगा। इस अवसर पर मॉरिशस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति श्री पृथ्वीराज सिंह रूपन के मुख्य आतिथ्य, पूर्व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियात निशंक की अध्यक्षता, म.प्र. के उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल तथा आरएनटीयू के कुलाधिपति संतोष चौबे की विशेष उपस्थिति में विश्व हिन्दी ओलंपियाड के विजेताओं की घोषणा कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। म.प्र. के अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला, विश्व रंग के सह निदेशक डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी और निदेशक बालरंग डॉ. पल्लवी राव चतुर्वेदी का भी प्रेरक सानिध्य रहेगा।

मुख्यमंत्री को नीमच के राहुल कुमार लोहार ने कोरोना काल में चित्रित मास्क भेंट किया।

दिग्विजय की सीएम और मंत्री प्रह्लाद को बहस की चुनौती

कहा-विंध्य भवन में 20 प्रतिशत एडवांस कमीशन देने के बाद भी सरपंचों को फंड नहीं मिल रहा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सोमवार से तीन दिवसीय पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला चल रही है। इस वर्कशॉप का आज दूसरा दिन है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कार्यशाला में राजगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सौंधिया द्वारा पंचायती राज प्रतिनिधियों के अधिकारों को लेकर सीएम के सामने उठाई गई बात पर सीएम डॉ. मोहन यादव और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल को खुली बहस की चुनौती दी है।

भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा को 22 साल बाद पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने की याद आई है।

दिग्विजय ने कहा- हमने सोचा था कि इस प्रकार के अधिकार देंगे जिससे अधिकारी-कर्मचारी उनके नियंत्रण में आएं। लेकिन, उनकी केवल एक घोषणा हुई है। जिला पंचायत और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष जो शिक्षा समिति के कानूनन अध्यक्ष होते हैं, उनको निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन, उनके निरीक्षण पर कार्रवाई का अधिकार अधिकारियों के पास है। भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में राजगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सौंधिया ने सीएम के भाषण के दौरान पंचायती राज प्रतिनिधियों के अधिकारों का मामला उठाया था।

सीएम और मंत्री को दी खुली चुनौती

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम मोहन बेकार की बात करते हैं। उन्होंने सीएम मोहन यादव और प्रह्लाद पटेल को बहस करने की खुली चुनौती दी है। साथ ही कहा कि भले वे भाजपा के ही पंचायत प्रतिनिधियों को साथ लेकर आएं। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिला परिषद अध्यक्ष को गाड़ी और राज्यमंत्री का दर्जा है लेकिन राजगढ़ में जिला परिषद अध्यक्ष को एक कॉन्स्टेबल मंच पर चढ़ने से रोक देता है। ये आपका पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति सम्मान है?

सीएम से ज्यादा पटेल को पंचायतों की समझ

दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि मुझे सीएम मोहन यादव के मुकाबले पंचायत मंत्री प्रह्लाद पटेल से ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि वे ग्रामीण परिवेश के हैं। पंचायत का जितना अनुभव प्रह्लाद पटेल को होगा उतना मोहन यादव को नहीं होगा। क्योंकि प्रहलाद पटेल गांव के व्यक्ति हैं और मोहन यादव तो शहरी उज्जैन के रहने वाले हैं। तो पंचायतों का जितना अनुभव प्रहलाद पटेल को होगा उतना मोहन जी को नहीं होगा। लेकिन, मुझे इस बात का दुख है कि उनके कार्यकाल में भी खुलेआम प्रदेश स्तर पर कमीशनखोरी हो रही। जो पैसा सीधा पंचायत के पास जाना चाहिए वो नहीं जा रहा।

कमीशन जमा करने के बाद भी सरपंचों को फंड नहीं मिल रहा

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने आरोप लगाया कि इससे पहले जो पंचायत मंत्री थे महेंद्र सिसोदिया उन्होंने सिस्टम बना दिया था कि 20 प्रतिशत दे जाओ और मंजूरी ले जाओ वो आज भी कायम है। मेरे चुनाव क्षेत्र राजगढ़ के कई सरपंचों ने बताया कि उन्होंने एडवांस बुकिंग भी कर दी।

20 फीसदी कमीशन जमा भी कर दिए, लेकिन पैसा उन्हें नहीं मिला। दिग्विजय सिंह ने कहा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कम से कम इतना तो कर दें कि जिन बेचारे सरपंचों के पैसे आपकी भाजपा के खजाने में जमा हो गए हैं वो कौन सा विंध्य भवन है उस विंध्य भवन में जमा होने के बाद भी इनको किश्त नहीं मिल रही है। बाकी आपसे कोई उम्मीद नहीं हैं।

दिग्गी ने पूछा- शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार देंगे

दिग्विजय सिंह ने कहा कि इससे ज्यादा इस सरकार से उम्मीद भी नहीं है। क्या वे पंचायत प्रतिनिधियों को शिक्षक नियुक्ति का अधिकार देंगे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति का अधिकार देंगे? सीएम इतना ही करें कि तृतीय श्रेणी में जो पंचायत विभाग में काम करते हैं या ग्रामीण विकास में काम करते हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार देंगे? उन्होंने पूछा कि जिस धारा 40 का धौंस दिखाकर सरपंचों को पृथक करते हैं क्या उसे वापस लेंगे?

एम.पी. ट्रांसको का प्रोटेक्शन सेल 100 प्रतिशत डिजिटल : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

तकनीकी मजबूती के साथ बढ़ी ट्रांसमिशन नेटवर्क की रियल-टाइम सुरक्षा

भोपाल (नप्र)। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के तहत मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) के प्रोटेक्शन सेल अब पूरी तरह डिजिटल हो। प्रदेश में 42 हजार किलोमीटर से अधिक लंबी ट्रांसमिशन लाइनों, 417 एक्स्ट्रा हाईटेंशन सब स्टेशनों के 1000 से अधिक पॉवर ट्रांसफार्मरों की हर पल निगरानी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले प्रोटेक्शन सेल का समूचा कार्य अब पूर्णतः डिजिटली संचालित हो रहा है। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने एम.पी. ट्रांसको को यह बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर बधाई देते हुये इसे तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया है।

मोबाइल, गूगल सीट का हो रहा उपयोग

एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता अमर कीर्ति सक्सेना ने बताया कि प्रोटेक्शन सेल के डिजिटल होने के बाद सभी फाल्ट रिपोर्ट, इवेंट डेटा, डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड, ट्रेकिंग फाइलें तथा एनालिटिकल रिपोर्ट अब मोबाइल, ईमेल या गूगल शीट के माध्यम से तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। किसी भी लाइन-फाल्ट, उपकरण फेल्यूअर या ओवर-लोडिंग की स्थिति में रियल-टाइम अलर्ट सीधे संबंधित अभियंताओं तक पहुँचने से निर्णय लेने की गति बढ़ी है और ट्रिपिंग एवं ब्रेक डाउन की स्थिति को नियंत्रित किया जा सका है। इस पूरी प्रक्रिया के डिजिटल होने से फॉल्ट लोकेशन की सटीक पहचान अब कुछ ही मिनटों में संभव है।

धार में चलती बाइक पर साइलेंट अटैक आने से मौत

डॉक्टर ने सीपीआर दिया, नहीं बचा सके ; एक हफ्ते बाद बेटे की सगाई थी

धार (नप्र)। धार जिले के जेतपुरा गांव में सोमवार सुबह चलती बाइक पर साइलेंट अटैक आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वे अपने छोटे बेटे की 3 दिसंबर को होने वाली सगाई की खरीदारी करने धार शहर जा रहे थे। शख्स की बाइक से गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक, झमकलाल सोलंकी अपने बड़े बेटे के साथ बाइक पर बैठे थे। पत्नी पीछे बैठी थीं। गांव से कुछ दूर पहुंचते ही उन्हें अचानक साइलेंट अटैक आया और वे बाइक से नीचे गिर पड़े। गिरते ही वे सड़क पर बेसुध हो गए।

यह पूरी घटना पास के एक रेस्टोरेंट के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।

डॉक्टर ने मौके पर पहुंचकर सीपीआर दिया- पास ही स्थित क्लीनिक के डॉक्टर करण वसुनिया तुरंत मौके पर पहुंचे और सीपीआर दिया। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें धार के एक निजी अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी नीलेश ने कहा कि वह रेस्टोरेंट में चाय पी रहे थे, तभी बाइक से गिरते देखा। लोग तुरंत दौड़े और मदद की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर के प्राथमिक उपचार के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका।

3 दिसंबर को बेटे की सगाई थी- परिवार छोटे बेटे अभिषेक की 3 दिसंबर को होने वाली सगाई की तैयारी कर रहा था। खरीदारी के लिए निकले परिवार पर यह घटना अचानक आ गई। घर में जहां खुशियों की तैयारियां थीं, अब वहां मातम पसरा है।

भोपाल में हुई जनसुनवाई में महिला का हंगामा

पुलिस समझाती रही, पर महिला नहीं मानी ; खुद को विधायक भी कहा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कलेक्टोरेट में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में एक महिला ने आधे घंटे से ज्यादा समय तक हंगामा किया। उसे महिला पुलिसकर्मी व गार्ड समझाती रही, लेकिन वह नहीं मानी। उसने खुद को विधायक भी कहा। महिला के हंगामे की वजह से जनसुनवाई काफी देर तक प्रभावित रही।

मंगलवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक जनसुनवाई हुई। इसमें 100 से अधिक पहुंचे। इस दौरान अपनी परेशानी के साथ पहुंची शोभना सिंह ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर मीटिंग हॉल में हंगामा कर दिया। अधिकारियों ने महिला से कहा कि यह पुलिस की समस्या है। जिला पंचायत सीईओ ईला तिवारी और एडीएम अंकुर मेश्राम ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी।

दूसरे आवेदक परेशान होते रहे

महिला के हंगामे की वजह से जनसुनवाई पर भी असर पड़ा। कई पीड़ित अपनी बारी आने के लिए परेशान होते रहे, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी हंगामा कर रही महिला को समझाने में जुटे रहे।

तीन महीने पहले भी आ चुकी

मिनाल रेसिडेंसी की रहने वाली शोभना सिंह ने हंगामा किया। करीब तीन पहले भी वह जनसुनवाई में पहुंची थी। आवेदन दिया था कि 9 दिसंबर 2022 को उनके पास किसी मंशाराम का कॉल आया था। मंशाराम ने उन्हें मकान खाली करने की धमकी दी थी। शोभना का कहना है कि वह अपनी 11 साल की बेटी के साथ रहती हैं। उन्हें मकान खाली करने के लिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जबकि उनके मकान मालिक ग्वालियर में रहते हैं और उनके बीच 11 महीने का अनुबंध है। मंशाराम उन्हें आए दिन प्रताड़ित करता है।

चाकू दिखाकर बोले बदमाश- मुखबिरों को इसी से काटेंगे

भोपाल (नप्र)। भोपाल में बदमाशों ने खुलेआम पुलिस को चुनौती दी है। एक वीडियो जारी कर बदमाशों ने कहा है- पहली बार जेल नहीं जा रहे, जेल जाने से डरते भी नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारी मुखबिरी की है, उनको छोड़ेंगे नहीं। गिरफ्तार होते ही ऐसे खुलासे करेंगे, जिससे सबके होश उड़ जाएंगे। बताएंगे, किसके कहने पर वारदात की है। मंगलवार को सामने आए वीडियो में एक बदमाश हाथ में चाकू लिए कहता है- मुखबिरों को इसी चाकू से काटेंगे।

ये वीडियो उन्हीं बदमाशों का बताया जा रहा है, जिन्होंने शनिवार रात गौतम नगर थाना इलाके की ग्रीन पार्क कॉलोनी में वाहनों में तोड़फोड़ की थी। उन्होंने अपने साथियों के जेल जाने के बाद ये वीडियो जारी किया है। बता दें कि इस मामले में चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

सड़क पर खड़ी कारों में तोड़फोड़ की थी- तोड़फोड़ मामले में फरियादी चंदन इंदौरिया ने बताया- शनिवार को हम सीहोर से लौटे थे। अपनी कार को घर के सामने रोड पर पार्क किया था। इसी दौरान लड्डू और साथी वहां से गुजरे थे। उन्होंने कार को रोड पर देखकर गालियां देना शुरू कर दिया।

विरोध करने पर मारपीट करने लगे। घबराकर हमने अपने आप को घर में कैद कर लिया। इसी बीच आरोपियों ने सड़क पर पार्क दूसरी कारों के भी कांच फोड़ दिए।

मामले में ये आरोपी गिरफ्तार- अंकित यादव पिता ओम प्रकाश यादव (24), निवासी काली मंदिर के पास, थाना टीला जमालपुरा। आर्यन पंथी पिता इमरत लाल पंथी (20), निवासी शिवालय मंदिर के पास, थाना टीला जमालपुरा। 8 केस पहले से दर्ज हैं। अर्जुन सिंह सोंधिया पिता बन्ने सिंह सोंधिया (22), निवासी इब्राहिमगंज। 12 अपराध पहले से दर्ज हैं।

एमपी में दो और बीएलओ की मौत

10 दिन में 6 की गई जान, एक का बेटा बोला तनाव में थे,कर्मचारी संगठन ने की मुआवजे की मांग

भोपाल/शहडोल (नप्र)। शहडोल में सोमवार को लोगों से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) का फॉर्म भरवाने के दौरान बीएलओ को एक अधिकारी का कॉल आया, इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ ही देर में बीएलओ की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 10 दिन में 6 बीएलओ की मौत के मामले सामने आए हैं।

मध्यप्रदेश की 230 विधानसभा में 4 नवंबर से एसआईआर का काम चल रहा है। प्रदेश के कुल 5 करोड़ 74 लाख 5 हजार वोटर्स के फॉर्म डिजिटलाइज करने हैं। इस काम में 65 हजार 14 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन काम के तनाव की वजह से उनकी जान पर बन आई है।

मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को पत्र लिखा है। जिसमें एसआईआर सर्वे के दौरान मृत होने या घायल-तबीयत खराब होने वाले कर्मचारियों को राहत देने की मांग की गई। ठीक उसी तरह जैसे चुनाव के दौरान मदद दी जाती है। मृत कर्मचारी के परिजन को 15 लाख रुपए और घायल या बीमार होने वाले कर्मचारी का सारा इलाज मुफ्त में कराने की मांग की गई है।

मामला- 1- शहडोल जिले के सोहागपुर में बीएलओ मनीराम नापित (54) की सोमवार शाम को हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे पतेरिया गांव में मतदाताओं से प्रपत्र भरवा रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक अधिकारी का फोन आया। फोन रखने के तुरंत बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने अपने बेटे आदित्य को फोन पर इसकी सूचना दी। इसके बाद आदित्य पिता को घर लेकर आया। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज के लिए निकले, लेकिन यहां पहुंचने से पहले ही बीएलओ ने दम तोड़ दिया।

मामला- 2- तीन दिन पहले नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में एसआईआर सर्वे कर लौट रहे सहायक शिक्षक सुजान सिंह रघुवंशी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ, जिससे उनके दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें गंभीर हालत में भोपाल के बंसल हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वे गर्ल्स स्कूल पिपरिया में पदस्थ थे।

मामला- 3 - 20 नवंबर की रात मंडीदीप में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। रात में बीएलओ रमाकांत पांडे ऑनलाइन मीटिंग में शामिल थे। मीटिंग खत्म होने के 10 मिनट बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वे वॉशरूम में गिर पड़े। परिजन उन्हें भोपाल के नोबेल अस्पताल और एम्स ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रमाकांत पांडे वार्ड 17 टीलाखेड़ी प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे और बीएलओ की ड्यूटी कर रहे थे।

ग्वालियर में चलती बस में लगी भीषण आग

गुड़गांव से पन्ना जा रही थी, ड्राइवर ने टायर से चिंगारी निकलते देख रोकी, 45 यात्री सवार थे

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर में कल रात एक यात्री बस में अचानक आग लग गई। बस के टायर से चिंगारी निकलते देख वीडियो कोच बस के चालक ने तुरंत हाईवे किनारे गाड़ी रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। करीब 20 मिनट के भीतर पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। घटना के समय बस में 45 यात्री सवार थे। यह बस गुड़गांव (गुरुग्राम), हरियाणा से

पन्ना, मध्य प्रदेश की ओर जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दमकल दल को भी बुलाकर आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

बस में सोने की तैयारी कर रहे थे यात्री

जानकारी के अनुसार, जब बस में आग लगी उस समय यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान बस के एक पहिए से चिंगारी निकलती देख चालक ने तुरंत बस रोक दी और सभी यात्रियों को बाहर निकलने की सूचना दी। समय रहते सभी यात्री बस से बाहर आ गए, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। बताया जा रहा है कि यदि यात्री गहरी नींद में होते, तो हादसा गंभीर रूप ले सकता था।

ड्राइवर ने देखी थी चिंगारी

सोमवार शाम हरियाणा के गुरुग्राम (गुड़गांव) से वीडियो कोच बस मध्य प्रदेश के पन्ना के लिए रवाना हुई थी। बस में कुल 45 यात्री सवार थे। रात करीब 12 बजे जब बस पुरानी छावनी क्षेत्र के हाईवे से गुजर रही थी, तभी चालक की नजर बस के टायर से निकल रही चिंगारी पर पड़ी।

स्थिति को भांपते ही चालक ने बिना देर किए बस को हाईवे किनारे रोक दिया और तुरंत सभी यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालते ही कुछ ही क्षणों में आग अचानक तेज हो गई और देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में घिरकर जलकर राख हो गई।

अजाक्स के अध्यक्ष बोले- मेरे भाषण को तोड़-मरोड़कर पेश किया

ब्राह्मण बेटियों वाले बयान पर माफी मांगी; सपाक्स ने कहा- उनकी गिरफ्तारी हो

भोपाल (नप्र)। अजाक्स के प्रांताध्यक्ष और सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने ब्राह्मण की बेटियों को लेकर अपने बयान पर माफी मांगी है। वर्मा ने मीडिया से कहा मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। मेरा भाषण 27 मिनट का था, लेकिन 2 सेकंड की क्लिप को चलाकर इसे प्रचारित किया गया है। दरअसल, अजाक्स के जिस कार्यक्रम में रविवार को संतोष वर्मा को प्रांताध्यक्ष चुना गया, उसमें वर्मा ने कहा था- जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए।

वर्मा के इस बयान पर सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. हीरालाल त्रिवेदी ने कहा- इससे घटिया, निकृष्ट और निंदनीय स्टेटमेंट कोई और नहीं हो सकता। जो अपनी बेटी और दूसरे की बेटी में इतना फर्क करता हो, उसके लिए कोई शब्द नहीं है।

अजाक्स हो, सपाक्स हो या अपाक्स हो, कोई भी वर्ग वाले हों, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। सरकार को भी इन्हें बाहर करना चाहिए क्योंकि ऐसे आदमी को सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस को एफआईआर दर्ज कर इसे गिरफ्तार करना चाहिए।

जो आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं, उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए?- ऐसा लगता है कि सामाजिक पिछड़ापन दूर हो गया है तो रोटी-बेटी का संबंध जोड़ना चाहिए। रोटी-बेटी का व्यवहार हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी।

तीसरी मंजिल से गिरीं नायब तहसीलदार, मौत

विदिशा में सरकारी फ्लैट में रहती थीं ; पुलिस ने पूरा राजस्व परिसर सील किया

विदिशा (नप्र)। विदिशा में नायब तहसीलदार कविता की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। घटना सांची रोड स्थित राजस्व परिसर में मंगलवार की है। पुलिस प्रशासन ने पूरे राजस्व परिसर को सील कर दिया है। पुलिस सुसाइड और हादसा, दोनों ही एंगल से जांच रही है।

जानकारी के मुताबिक, कविता अपने सरकारी आवास की तीसरी मंजिल की छत पर थीं, तभी अचानक नीचे गिर गईं। तत्काल उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल के डॉ. प्रशांत जैन ने बताया कि कविता को गंभीर चोटों के साथ लाया गया था। उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी।

कलेक्टर समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे- घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल व घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत राजस्व परिसर को सील कर दिया और घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। छत के किनारों, सीढ़ियों और आसपास के हिस्सों में मिले संभावित निशानों की बारीकी से जांच की जा रही है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने पर होगा खुलासा- कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामला आत्महत्या का है या दुर्घटना। कविता के परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके बयान भी जांच में अहम भूमिका निभाएंगे। कविता सांची रोड स्थित राजस्व परिसर में बने सरकारी फ्लैट में रहती थीं। इस घटना से प्रशासनिक महकमे में शोक का माहौल है।

संपादकीय

ब्लाइंड बेटियों को कोरी बधाइयां !

खेलों में भारत की बेटियां लगातार कमाल कर रही हैं। इसमें ताजा कड़ी भारतीय महिला नेत्रहीन टीम द्वारा पहला टी-20 विश्व कप जीतना है। भारतीय बेटियों की इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित सभी लोगों ने बधाइयां दीं। लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरह इस ब्लाइंड वीमेन टीम को किसी ने नकद पुरस्कार देने का ऐलान नहीं किया। यहां तक कि बीसीसीआई ने भी अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की। यह सही है कि भारतीय ब्लाइंड वीमेन क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन बीसीसीआई बेटियों के हक में अतिरिक्त उदारता दिखा सकती है। यहीं नहीं भारत सरकार ने भी अभी तक इन बेटियों की हौसला अफजाई के किसी तरह की सौगात का ऐलान नहीं किया। कुल मिलाकर टीम की इस वैश्विक सफलता पर कोरी बधाइयां ही मिल रही हैं। अलबत्ता इस टीम के स्वदेश लौटने पर बेंगलुरू में जोरदार स्वागत किया गया। गौरतलब है कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित पहले ब्लाइंड वीमेन टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने फाइनल में नेपाल को हराकर पहला वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। इस रोमांचक फाइनल में भारत ने नेपाल को सात विकेट से हराया। खास बात यह रही कि पूरे टूर्नामेंट में भारत ने एक भी मैच नहीं गंवाया और सभी मैचों को जीतकर टूर्नामेंट में अपना दबदबा भी साबित किया। भारत ने टॉस जीतकर नेपाल को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया था। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 114 रन बनाए थे। भारत ने यह लक्ष्य 12.1 ओवर में ही 47 गेंद रहते हासिल कर लिया। भारत की ओर से फुला सरेन ने 27 गेंद पर चार चौकों की मदद से नाबाद 44 रन बनाए। 20 दिन पहले मुंबई में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को नवी मुंबई में हराकर महिला क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत की थी। अब तीन हफ्तों के अंदर ही भारतीय महिला ब्लाइंड टीम भी वर्ल्ड कप का खिताब उठाकर ब्लाइंड क्रिकेट की नई तकदीर लिखने की कोशिश की है। बीते एक माह में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने यह तीसरा विश्व कप जीता है। ब्लाइंड वीमेन कप के पहले महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल ढाका में भारत और चीनी ताइपे के बीच खेला गया था। खिताबी मुकाबले में भारत की बेटियों ने कमाल कर दिया और चीनी ताइपे को हरा कर वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इसमें दुनिया भर की 11 टीमों ने भाग लिया था। इस बीच कोलंबो में हुए टी 20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय कप्तान दीपिका ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमें भारत को खिताब जिताकर बेहद खुशी है। पूरी टीम ने एकसाथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया है। इन खिलाड़ियों ने अपनी जिंदगी में काफी मेहनत की है। यह हमारे लिए गर्व का पल है। हम जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहेंगे। उल्लेखनीय है कि दृष्टि बाधित क्रिकेट सामान्य क्रिकेट से अलग होता है। इसमें ग्यारह खिलाड़ी एक दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम बनाते हैं और यह एक सफेद प्लास्टिक की गेंद से खेला जाता है, जिसमें बॉल बेयरिंग लगे होते हैं जो लुढ़कते समय खड़खड़ाते हैं, जिससे खिलाड़ी उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ब्लाइंड क्रिकेट में बल्ले से गेंद को अधिकतम हिट करने के लिए 'स्वीप शॉट' का व्यापक उपयोग किया जाता है। इस क्रिकेट में खास सुरक्षात्मक उपकरण इस्तेमाल किया जाते हैं। भारत में भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ दृष्टिबाधित क्रिकेट का आयोजन और संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अगर कामयाबी को नापें तो दृष्टिबाधित क्रिकेट कप जीतना सामान्य महिला टीम की सफलता से भी कहीं ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण है। ऐसा क्रिकेट जिसमें स्पर्श और संवेदना ही सबकुछ है।

न्यायपालिका स्वतंत्र है इसलिए संविधान सुरक्षित

नजरिया

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

'गांधी है तो भारत है' के लेखक

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति जमानत के लिए आर्थिक गारंटी देने में असमर्थ है,तो सरकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए इसे मुहैया करेगी। इस तरह से उसकी रिहाई सुनिश्चित की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने के बावजूद केवल पैसों की कमी के कारण किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला देश के उन हजारों गरीब कैदियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो मामूली आरोपों में जेल में बंद हैं। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण जमानत नहीं पा सके हैं। इस आदेश के बाद यह उम्मीद बढ़ गई की गरीबी किसी व्यक्ति के लिए न्याय से वंचित होने का कारण भविष्य में न बनेगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने तीन वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मौजूदगी में अपना दर्द साझा करते हुए कहा था की कई गरीब और आदिवासी नागरिक,अदालत से जमानत मिल जाने के बावजूद केवल इसलिए जेल में रहते हैं क्योंकि वे जमानत राशि भरने में सक्षम नहीं हैं। महामहिम इस तथ्य से वाकिफ ही होंगी की न्याय किसी भी समाज, राष्ट्र और सभ्यता की नींव होता है। यह केवल अदालतों का कार्य नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। हालांकि महामहिम ने भारत की न्याय व्यवस्था की एक गंभीर और चिरकालिक समस्या को उजागर भी किया था। अपने वक्तव्य के जरिए देश की प्रथम नागरिक ने न्यायपालिका से गरीब आदिवासियों के लिए कुछ करने का आग्रह किया था। महामहिम की साफगोई के अच्छे परिणाम हुए। न्यायालय ने संज्ञान लिया और इस वर्ष अक्टूबर में एक फैसला आया।

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति जमानत के लिए आर्थिक गारंटी देने में असमर्थ है,तो सरकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए इसे मुहैया करेगी। इस तरह से उसकी रिहाई सुनिश्चित की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने के बावजूद केवल पैसों की कमी के कारण किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला देश के उन हजारों गरीब कैदियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो मामूली आरोपों में जेल में बंद हैं। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण जमानत नहीं पा सके हैं। इस आदेश के बाद यह उम्मीद बढ़ गई की गरीबी किसी व्यक्ति के लिए न्याय से वंचित होने का कारण भविष्य में न बनेगी।

दरअसल न्यायपालिका देश में नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक है। भारत में यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और इन अधिकारों की रक्षा का अंतिम दायित्व न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा है,जिससे वह किसी भी कानून या सरकारी निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान-विरोधी या अधिकारों के विरुद्ध हो। यह शक्ति नागरिकों को मनमानी से बचाती है और सरकार को संविधान के भीतर काम करने के लिए बाध्य करती है।

2005 में सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ में उग्रवाद विरोधी एक जनआंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ सरकार की सहायता से शुरू किए गए इस आंदोलन का उद्देश्य नक्सलियों के खिलाफ ग्रामीणों को संगठित करना और सुरक्षा बलों को सहायता प्रदान करना था। इस आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं को स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में भर्ती किया गया और उन्हें हथियार चलाने तथा नक्सल-विरोधी ऑपरेशन में शामिल होने का प्रशिक्षण दिया गया। कई गांवों को खाली कराकर लोगों को विशेष कैंपों में बसाया गया की वे नक्सलियों से दूरी बनाए रखें और सुरक्षा बलों को सहयोग कर सकें। 2005 से 2011 के बीच इस अभियान ने नक्सली संगठनों को स्थानीय समर्थन से वंचित कर कमजोर किया। लेकिन इसी अवधि में सलवा जुडूम पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे। अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार संगठनों और पीड़ितों ने अभियानों के दौरान निर्दोष ग्रामीणों के उत्पीड़न,घरों को जलाने,महिलाओं पर अत्याचार, जबरन कैंपों में ले जाने और हिंसा फैलाने के आरोप लगाए। इन आरोपों पर आधारित कई याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गईं।

2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलवा जुडूम और स्पेशल पुलिस ऑफिसर व्यवस्था को असंवैधानिक और अवैध करार दे दिया था। न्यायालय ने कहा था कि नाबालिगों या अप्रशिक्षित युवाओं को हथियार देकर लड़ाई में भेजना संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। राज्य का दायित्व कानून-व्यवस्था बनाए रखना है,न कि नागरिकों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया राज्य की विफलता का संकेत है और इससे कानून का राज कमजोर होता है। इस प्रकार सलवा जुडूम पर प्रतिबंध मानवाधिकार,विधि के शासन और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक कदम माना गया।

देश में यह भी देखा गया है की जब प्रशासन और सरकारें नियमों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा के नाम पर मानवीय मूल्यों को भूल जाती हैं,तब न्यायालय मानवाधिकारों की अंतिम रक्षा-रेखा बन जाता है। न्यायपालिका संविधान के तहत यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी नागरिक की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का हनन न हो। चाहे पुलिस अत्याचार हो, प्रशासनिक मनमानी या कमजोर वर्गों पर अन्याय हो। न्यायालय हस्तक्षेप कर राज्य को उसकी सीमाएं और जिम्मेदारियां याद दिलाता है। न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के माध्यम से अदालतें लोकतंत्र को मानवीय बनाती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि कानून का शासन संवेदना और न्याय दोनों के साथ चले। अपने फैसलों में न्यायपालिका के यह संदेश लोगों में न्याय का भरोसा जगाते है। दो वर्ष पहले मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने मातहत अधिकारी के ट्रांसफर और स्टे पर आधिकारियों की मनमानी को लेकर दो आईएएस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि आप अधिकारी हैं,राजा नहीं। न्यायालय ने अवमानना के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अधिकारियों को सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने दोनों अध

संवैधानिक अधिकार मानवाधिकारों का कानूनी आधार हैं और न्यायपालिका उनकी संरक्षक,जो यह सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक सुरक्षित,स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सके। दिव्यांग जन को लेकर एक मामलें में न्यायालय का एक फैसला फिर मिसाल बन कर आया। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा की भर्ती और सेवा शर्तें नियम के खिलाफ एक याचिका दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की मां ने दायर की तो अदालत ने न केवल इस पर कड़ा संज्ञान लिया बल्कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर माहेदवन की बेंच ने कहा कि किसी दिव्यांग व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करने का आधार मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा किया गया क्लीनिकल असेसमेंट नहीं हो सकता। पीठ ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम की शर्तों में दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन अभ्यार्थियों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति से बाहर रखने वाले अंश को निरस्त करते हुए कहा कि दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन भारत में न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। पीठ ने फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा,मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम 1994 के नियम 6-ए को निरस्त किया जाता है,क्योंकि यह दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं

न्यायपालिका समय-समय पर ऐसे फैसले देती है जो यह सिद्ध करते हैं कि संविधान के मूल्य स्थिर नहीं बल्कि बदलते सामाजिक संदर्भों में निरंतर विकसित होते हैं। न्यायपालिका न केवल संविधान के शब्दों की रक्षा करती है, बल्कि उसके भाव,आत्मा और मूल्य-तत्वों को भी अभिव्यक्ति देती है। संविधान केवल लिखित प्रावधानों का दस्तावेज़ होने के साथ ही उसमें निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे उच्च आदर्शों का जीवंत दर्शन है। न्यायपालिका इन आदर्शों को व्याख्या,निर्णय और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से समाज में लागू करती है। मसलन गरीब लोगों को आरक्षण देने पर न्यायपालिका का बेहद सकारात्मक रुख सामने आया।

2019 में सरकार ने कानून में संशोधन कर कमजोर वर्गों को आर्थिक आधार पर दस फीसदी आरक्षण देने का नियम बनाया था। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और आलोचकों का तर्क था कि यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें पहले से आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले जाति समूहों को शामिल नहीं किया गया है और यह शीर्ष अदालत के 1992 के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें आरक्षण की सीमा पचास फीसदी तय की गई थी। इस पर न्यायाधीशों ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण भारत के मूल ढांचे या संविधान का उल्लंघन नहीं करता है और इसे सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के रूप में माना जाना चाहिए।

बेशक,भारत में अच्छा संविधान है लेकिन इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता की संविधान और संविधानिक ढांचे को मजबूत रखने में न्यायपालिका ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहरहाल न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रहनी ही चाहिए। उसकी स्वतंत्रता लोकतंत्र को मजबूती देती है,सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाती है और न्याय के मूल्यों की रक्षा करती है। इसी कारण लोकतंत्र की विश्वसनीयता और संविधान की सर्वोच्चता कायम रहती है।

लोकतंत्र और हमारा संविधान

संविधान दिवस विशेष

डॉ. संजीव कुमार

सामाजिक एवं राजनीतिक विशेषज्ञ

बिहार चुनाव, चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों से आरम्भ हुआ था और उसके परिणाम पश्चात् आरोप - प्रत्यारोप से ही समाप्त हो चुका हैं. चुनाव आयोग पर विपक्ष ने जो आरोप लगाए वह चुनाव से 6 महीने पहले ही चालू हो चुका था. जिसमें वोट चोरी,वोट कटौती, और पक्षपात जैसे गंभीर आरोप शामिल है. हम इस मुद्दों को अगर विपक्ष का मुद्दा मानकर छोड़ भी दे दो तो पूरे देश ने देखा और इस बात का गवाह है किस प्रकार तत्कालीन बिहार सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा होने की तिथि के बाद भी महिलाओं के खाते में दस- दस हजार रुपए भेजे जाते रहे. आचार संहिता के मुताबिक चुनाव तिथि घोषणा होने के पश्चात तत्कालीन सरकार किसी भी तरह की आर्थिक घोषणा और सहयोग जनता को नहीं दे सकती. 6 अक्टूबर को बिहार चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की और उसी दिन बिहार सरकार ने महिलाओं के खाते में पहली किस्त दस हजार रूपये डाले थे. इसके बाद उन्होंने दूसरी किस्त 31 अक्टूबर और प्रथम चरण चुनाव के पश्चात 7 नवम्बर को भी महिलाओं के खाते में परस्पर धन राशि भेजी जाती रही. जिसने बिहार चुनाव पर व्यापक प्रभाव डाला और परिणाम सत्ता के हक़ में जाता रहा. इसी बीच तटीय केंद्र शासित राज्यों में भी स्थानीय चुनाव थे. जिनमे दादर ,नगर हवेली और दमन और दीव में जिला पंचायत तथा नगर निकाय का चुनाव था. जहाँ 122 सीटों में से 91 सीटों पर विपक्ष का पर्चा ही रद्द कर दिया गया और बीजेपी बिना लड़े ही विजयी हो गई. मजे की बात ये कि भाजपा प्रत्याशी का एक भी नामांकन रद्द नहीं हुआ.

वर्तमान भारत में आज जो लोग सत्ता में है वें यह भूल चुके हैं कि उन्हें जो ताकत मिली है वह संविधान की वजह से मिली है,और अंत में उनके अच्छे बुरे निर्णय का न्याय भी यह सविधान ही करेगा. भाजपा सरकार जिस तरह से राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले वहां के नेताओं को अपने तंत्र के माध्यम से डराने और धमकाने का कार्य करती आ रही है (दिल्ली, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक इत्यादि) और सरकारी मशीनरी तथा खजानों का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करने में लगी हुई है यह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चिंता का विषय हैं. आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खुलेआम मुसलमानों को गाली देते नजर आते हैं, उनके धार्मिक आस्थाओं पर ठेस पहुंचाते हुए दिखाई देते हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो उन्हें सदन में मुल्ला कहने से भी नहीं हिचकिचाते. उनके बुलडोजर द्वारा मुसलमानो के घर गिराए जाने का मामला जिस तरह से देखने को मिलता है इससे मालूम होता है कि वह खुद को ही सर्वशक्तिमान समझते हैं. उनके लिए संविधान और कानून जैसी कोई भी चीज मायने नहीं रखती जबकि इस विषय पर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें फटकार लगा चुकी है.

आज देश के आदिवासी निस्सहाय कलप रहे है. देश में आदिवासियों की जल,जंगल पर सत्ता की हमेशा से नजर रही है. कभी व्यवसाय के लिए तो कभी विकास के नाम हमेशा से इनके क्षेत्रों में अतिक्रमण होते रहे हैं. स्थिति इतनी विकराल हो गई कि इसे नक्सलवाद का रूप लेना पड़ा है. छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता 1959 की धारा 165, 170-क्ख के अनुसार आदिवासी की जमीन केवल आदिवासी को ही बेची जा सकती है,गैर-आदिवासी को नहीं तो फिर इतने बड़े-बड़े पूंजी पत्तियों के हाथों इतनी बड़ी भूमि क्यों और कैसे बेचीं जा रही है? आज आदिवासियों के लिए लिखने पढ़ने वाले लोगों की संख्या नहीं के बराबर है. सामान्य लोग आदिवासी का मतलब नक्सलवाद समझते हैं. इधर कुछ वर्षों से सरकार और आदिवासियों या यूं कहें कि नक्सलवाद से हर दिन मुठभेड़ देखने को मिल रहा है. बस्तर अब लाल मिट्टी की जगह लाल खून से सना हुआ है.

वर्तमान सरकार ने देश के सभी नागरिकों को कई हिस्सों में बांटकर उन्हें आपस में लड़ा रखा है. बिल्कुल अंग्रेजों की फूट डालो और राज करों की नीति की तरह. देश के मुसलमान देश के सच्चे नागरिक नहीं है, आदिवासी नक्सली है, दलित अयोग्य हैं (आरक्षण के नाम पर गाली) और पिछड़े सत्ता के योग्य नहीं. कानून में तमाम प्रावधान होने के बावजूद भी कानून दलितों, आदिवासियों,पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की रक्षा करने में आज तक विफल रहा हैं. जबकि दलितों और आदिवासियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें सरकारी व्यवस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था के इतने दशक बावजूद भी हमारा तंत्र आज तक उन्हें अपने मुख्य धारा तक खड़ा करना तो बहुत दूर उन्हें साथ भी नहीं ला सका है. इसका ज्वलंत उदाहरण अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में 2022 में जजों की भर्ती हेतु परीक्षा के परिणाम से समझ सकते है . जिसका परिणाम इसी महीने घोषित किया गया है. कुल 191 सीटों में 121 पद आदिवासियों हेतु घोषित हुए थे जिनमें से एक पद पर भी आदिवासी का चयन नहीं किया गया. जाहिर हैं सरकार कुछ वर्षों बाद इस पद को सामान्य वर्ग में परिवर्तित कर देगी जैसा कि वह हमेशा से करती आ रही है (राजनितिक दबाव में फ़िलहाल इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है) आदिवासियों दलितों और पिछड़ों के साथ सरकारी तंत्र हमेशा से यही करता आया है, यही कारण है कि सरकारी सुविधाओं और व्यवस्था में इन समुदायों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है. आजादी के सात दशक बाद भी जब ये आरक्षण की वजह से व्यवस्था में पहुंचे तो उनके समाज में कुछ परिवर्तन देखने को मिलने लगा था जिसे हमारी संकीर्ण मानसिकता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है. सोच कर देखिए अगर कानूनन इनको अधिकार और सुविधा नही प्राप्त होती तो इनकी क्या स्थिति होती ?

आज शिक्षा पर कोई बात नहीं करना चाहता. स्कूल और कालेजों में कीर्तन भजन हो रहे है. अनुच्छेद 28 का पालन करना तो सरकार जैसे भूल ही गई है. सरकार यह मानने को तैयार नहीं की स्कूल और विद्यालय में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए. आज देश भर के स्कूल और विद्यालय में हिंदू धर्म से जुड़े छोटे-बड़े सभी त्यौहार बड़े धूम से मनाए जाते हैं जिसकी संविधान हमें बिल्कुल आज्ञा नहीं देती. अनुच्छेद 30 की तो बात करना आज देशद्रोह के बराबर बन गया है. अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं, उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश को सरकार पूर्ण तरह से उजाड़ने में लगी हुई है. अल्पसंख्यकों में जब पहले मुसलमानों पर उनकी संस्कृति के नाम पर खानपान और भाषाई व्यवहार पर हमले होते थे तो दूसरे अल्पसंख्यक चुपचाप तमाशा देखते थे. वें यह सोच रहे थे की उनके साथ कभी ऐसा नही होगा. आज बौद्ध मठों को जिस प्रकार से निशाना बनाए जाने लगा है, उन्हें जबरन हिंदू बनाए जाने का दबाव दिया जा रहा है और उनके मठों को हिंदू मंदिर बनाने का प्रयास किया जा रहा है. ईसाइयों को धर्मांतरण के नाम पर जेल मैं ठूसा और पिटा जा रहा है. दूसरी तरफ हिंदुत्व के संगठन घर वापसी के नाम पर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं. और जब कोई दूसरा धर्म यह करता पाया जाता है तो उसे अपराधी बनाकर जेल में कैद किया जा रहा है .ऐसा लग रहा है जैसे देश में दो कानून चल रहे है .आज संविधान कुछ नहीं है सत्ता में बैठे लोग जो हुक्म दे रहे हैं वही संविधान है. नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है. एक अट्ठाईस साल का लड़का देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है और सरकार उसकी खुलेआम मदद कर रही है इससे बड़ा भारतीय कानून के लिए उपहास भला क्या होगा ? देश की समस्या ये है की आज तक हमारे संविधान के लायक उसे कोई नेता ही नही मिला,इसीलिए पाखंडी,धूर्त,सामन्ती और पूंजीपति लोग इसका उपहास करते रहते है. डॉ.आंबेडकर ने इसीलिए कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो,उसे चलाने वाले अगर बुरे हों तो वह बुरा ही साबित होगा. देखते है इस देश को उसका सच्चा नेता कब मिलता है ?

एसआईआर का भूत एक मास्टर को खा गया

कटाक्ष

सुरेश सौरभ

लेखक व्यंग्यकार हैं।

वह घर में, रोज सुबह सबसे पहले उठ जाते थे। खाने-पीने का तनिक भी न होश उन्हें रहता। हर समय उन्हीं फार्मों में जूझते रहते थे। फिर भी अक्सर आने वाले फोन उन्हें हैरान परेशान किए रहते थे। सुबह से शाम तक और शाम से देर रात तक उन्हीं फार्मों में जूझते-खपते रहते, तब भी जब अधिकारियों की खूब झाड़ उन्हें पड़ने लगी, तब अपने दोनों बेटों को भी उन फार्मों में, जुए में लगे बैलों की तरह जुझा दिया। फिर भी उन्हें तिल भर सुकून न था। कभी-कभी बिना खाए-पिए ही बेचारे निकल जाते ,बस एक ही चिंता उन्हें खाए रहती, ऊपर वाले अधिकारी का दिया, यह टारगेट किसी तरह बस पूरा करना है।

अब बहुत सुस्त रहने लगे थे, घर में और घर के लोगों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रह गयी थी। बिल्कुल बाबा, बैरागी जैसे बन गये, दाढ़ी-बाल कटवाने-सुधरवाने तक का उन्हें तनिक ख्याल न रहता। थे तो सरकारी मास्टर, लेकिन अब बेचारे बिलकुल चिड़ीमार लग रहे थे,बस उन्हें हर वक्त एसआईआर फार्मों को जल्द से जल्द पूरे करने की धुन लगी रहती।

स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया-लिखाया? आजकल क्या सांस्कृतिक गतिविधियां चल रहीं हैं, खुशी से पहले सबसे खूब चर्चा किया करते थे, सोशल मीडिया पर चेपते भी रहते थे, मन भर लाइक कमेंट भी पाते थे, पर अब तो सब भूल गए, सब गए-बीते दिन हुए, अब तो वह किसी से हाल-चाल भी लेते तो बस एसआईआर पर ही गोल-गोल बातें करने लगते, एसआईआर की अंदरूनी तकलीफों का ही सिर्फ राग अलापते रहते।

सवाल आम तो जवाब गुठली, गांवों के तमाम कलंदरों जमूरों से सिरमारी करते हुए, दुरदुराते हुए, फार्म भरते हुए, एसआईआर की डिटेल फीडिंग कराते-कराते बेचारे मास्टर जी आधे हुए जा रहे थे। बासी बास मारते मुरझाए फूल हुए जा रहे थे। अधेड़ अवस्था में बिलकुल वृद्धा अवस्था वाली शिथिलता उनके चेहरे पर झलकने लगी थी। ऐसा लग रहा था, जैसे उनके चेहरे से किसी ने सारी खुशी लूट ली हो। सारा नूर लूट लिया हो। वह रोज रात को देर से सोते और सोते-सोते बड़बड़ाते रहते, एसआईआर, एसआईआर.. टारगेट जल्दी पूरा करना है। अधिकारी की डांट से बचना है। नोटिसों से बचना है, एफआईआर से बचना है, हर हाल में किसी तरह नौकरी बस बचानी है। ..तब खासे गुस्से से पत्नी, उन्हें दो धपक्के मार कर कहती, 'शांत रहो, दिन भर घर में खटना पड़ता है, खुद तो सारी रात ढंग से सोते नहीं, कम से कम ढंग से हमें तो सोने दो महराज।.. फिर एक दिन वह हुआ, जिसका किसी को अंदेशा न था । एक भंयकर भूत आया। फंदा लाया। निशाना साध कर वह फंदा मास्टर जी के गले में फेंका । फिर गम के सागर में डूबे बेचारे मास्टर जी चुपके से आधी रात में उठे, छत के एक छल्ले में लटक गए। फिर सुबह वह बेसुध पाए गए। एक बीएलओ, एसआईआर के भूत से हार गया था। सच पूछो तो एक सच्चा शिक्षा का सिपाही दुरभिसंधियों से हार गया था।'

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

सर्वोच्च अदालत के फैसलों में अंतर्विरोध की ध्वनि क्यों?

व्यंग्य

राजीव खण्डेलवाल

(लेखक कर सलाहकार एवं पूर्व बैतूल नगर सुधार न्यास अध्यक्ष)

8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार द्वारा विधानसभा में पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा लंबे समय तक लंबित रखने के विरुद्ध दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। इस निर्णय में राज्यपाल को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए अधिकतम तीन माह की समय सीमा निर्धारित की गई।

संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल के निर्णय में निम्न पांच प्रकृति हो सकती है।

1. स्वीकृति देना।
2. रोकना।
3. राष्ट्रपति के पास भेजना।
4. संशोधन सुझाना।
5. विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटाना।

यही वह पृष्ठभूमि थी, जिसके बाद माननीय राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत 14 प्रश्नों पर सलाह (राय) मांगी, जिसे राष्ट्रपति का संदर्भ कहा जाता है, जो सोलहवा संदर्भ था। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की 'सलाह' राष्ट्रपति के लिए बंधनकारी नहीं है।

प्रश्न क्रमांक-01 पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल के पास विधेयक रोकने का पूरा 'एब्सलूट' अधिकार नहीं है। साथ ही यह भी कह दिया कि स्वीकृति देने की कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। यही वह बिंदु है, जहाँ सलाह स्वयं अपने निर्णय व उसकी भावना का विरोध करता दिखता है- 'मिठ बोले कम तोले' की तरह, समय सीमा न होने का व्यवहारिक अर्थ यही है कि राज्यपाल विधेयक को जितनी देर चाहें रोक सकते हैं। इसके विपरीत, 8 अप्रैल का आदेश बिल्कुल स्पष्ट था-राज्यपाल 3 महीने के भीतर 'निर्णय' लेने को बाध्य होंगे। यह नई सलाह पूर्व के निर्णय की समय सीमा की बाध्यता को समाप्त कर देती है। क्योंकि जिन संवैधानिक भावनाओं के आधार पर समय सीमा तय की गई थी, वही अब इस राय में हवा हो गई।

'परिणामतः राज्यपाल व राष्ट्रपति अब बिना किसी समय-सीमा के, अपने विवेकाधिकार पर निर्भर रहते हुए विधेयकों को ठंडे बस्ते में डाल कर कानून बनने से रोक सकते हैं। न्यायालय की यह टिप्पणी कि अनावश्यक देरी होने पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, व्यावहारिक समाधान नहीं है। पहले सरकार सिर्फ राज्यपाल-राष्ट्रपति की बाट जोहती थी, अब उसे न्यायालय की चौखट भी देखनी होगी। इस आदेश से राज्यपालों के लिए, एक तरह से– दिन के दिन रहे, हाथ से जन्नत न गयी' वाली स्थिति बन गई है। जनता द्वारा चुनी गई विधानसभा का पारित विधेयक यदि राज्यपाल के अड़ियल रुख तथा राजनीतिक द्वेषवश महीनों-सालों तक रोका जाए, तो यह भारतीय जनतंत्र की सबसे कमजोर कड़ी ही कहलाएगी। इस कमी का इलाज करने के बजाय उच्चतम न्यायालय की यह 'राय' उस पर मोहर लगाती प्रतीत हो होती है।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या 8 अप्रैल का जस्टिस जे.बी पारदी वाला की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ का फैसला आज भी बाध्यकारी है? या पाँच-न्यायाधीशों की यह सलाह पूर्ण राय उस निर्णय को अप्रभावित कर देगी विडंबना यह है कि इसी सलाह के निर्णय के दो दिन पूर्व ही इसी उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 को रद्द करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी–

उच्चतम न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। संसद उन्हें दरकिनार नहीं कर सकती है। कार्यपालिका दखलंदाजी न करें।

तो क्या अब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को उक्त 'राय' देकर स्वयं के उक्त सिद्धांत को कमजोर नहीं किया? वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसे विपक्षी सरकारों की जीत बताया। परंतु उनका कथन निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है–

उदाहरण के लिए: 1. जनशक्ति मामले की पुनर्विचार याचिकाएँ। पहले पर्यावरणीय आधार पर परियोजनाओं पर रोक, फिर ऐतिहासिक रूप से स्वयं के फैसले को वापस ले लेना।

2. न्यायालय ने चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की व्यवस्था बताई थी। परंतु सरकार ने नया कानून बनाकर सीजेआई को हटा कर उनकी जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया।

इस प्रकार निष्पक्ष चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की संभावनाएं धूमिल ही नहीं बल्कि समाप्त हो गई।

उक्त कानून को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई न्यायालय ने आने वाले चुनावों के बावजूद नहीं की। जिस कारण से अब तक दो-दो चुनाव आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं जिनकी 'निष्पक्षता' पर एक इतिहास लिखा जा सकता है। कल यदि कानून रद्द हो गया तो यह स्थिति 'जिन्न को वापस बोतल में डालने' जैसी जटिल होगी।

3. इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक घोषित, पर धन-वापसी या जांच के आदेश नहीं।

4. बिहार एसआईआर मामले में मतदाता सूची की अनियमितताओं पर न्यायालय की सख्त टिप्पणियाँ। पर अभी तक कोई निर्णायक आदेश नहीं।

5. महाराष्ट्र सरकार मामले में न्यायालय ने इसे 'अवैध सरकार' कहा, पर सरकार यथावत चलती रही। अभी तक विधायकों की अयोग्यता पर कोई निर्णय नहीं। इन तमाम उदाहरणों से महसूस होता है कि न्यायिक गुणवत्ता में पिछले समय में गिरावट आई है, जो चिंताजनक है।

संविधान दिवस पर विशेष

सुनील कुमार गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

संविधान में लिखे शब्द नहीं, उसके भाव और नैतिकता महत्वपूर्ण

हमें एक अच्छा संविधान मिला है, पर यह हमारे नेताओं पर निर्भर करता है कि वो कैसे संविधान को आगे बढ़ाएं। वो अच्छे संविधान को बुरा बना सकते हैं और एक बुरे संविधान को भी अच्छा बना सकते हैं. : डॉ. भीमराव अंबेडकर

संविधान एक दृष्टिकोण है, एक रोशनी है, जो हमें, देश को आगे बढ़ा सकता है। संविधान के दस्तावेज में हर शब्द नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन उसके भाव और नैतिकता महत्वपूर्ण है, जिसे अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। - मदन बी. लोकुर, सेवानिवृत जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट

आज 26 नवंबर है, वो ऐतिहासिक दिन जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। यह वह दिन है, जब सन् 1949 को देश का अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था । 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया। भारत के संविधान को दुनिया को अनूठा संविधान भी माना जा सकता है। दरअसल यह केवल व्यक्ति के अस्तित्व, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गरिमा का ही ध्यान नहीं रखता है, बल्कि पूरे विश्व, महाद्वीप और प्रकृति के संरक्षण और मानवता की बात भी करता है।

हम जब देश के संविधान बनने के सफरनामे, उसकी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि पाते हैं, कि यह केवल एक कानूनी, अनुच्छेदों से भरा एक दस्तावेज मात्र नहीं हैं, बल्कि इसमें शामिल हर पंक्ति के पाछे सामाजिक, आर्थिक बदलाव, सुधार के ठोस तर्क मौजूद हैं। संविधान बनाने वालों ने भारतीय समाज की बुराईयों और विसंगतियों को छिपाने की कोशिश नहीं की। भारत के लोग जिन बुनियादी अधिकारों से वंचित थे, उनका पूरा संरक्षण करने वाली व्यवस्था बनाने की पहल इस संविधान में की गई।

भारतीय संविधान की विकास यात्रा, तथ्य और तर्कों पर लिखी पुस्तकों का अध्ययन करने पर पाते हैं कि भारत का संविधान कोई एक बार की पहल में लिखा गया संविधान नहीं है, इसके पीछे सवा सौ सालों के सामाजिक सुधार के अभियानों, ब्रिटिश सरकार द्वारा डेढ़ सौ सालों में बनाए गए अलग-अलग कानूनों के अनुभव और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के द्वारा 50 सालों में बनाए गए अलग-अलग प्रारूप खड़े हुए हैं ।

हमारे संविधान को बनाने में उन्नीसवीं सदी की शुरूआत से हुए सामाजिक सुधार आंदोलन मील का पत्थर साबित हुए। इन पहलों ने भारतीय समाज में यह चेतना जागृत करना शुरू की कि भारत में ऐसी संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए, जो आपसी प्रेम को बढ़ावा दे और शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करे और न्याय की अवधारणा को स्थापित करे। इसमें सेरामपुर मिशन प्रेस के माध्यम से सन् 1800 में बंगाल में जन शिक्षण को बढ़ावा देने की पहल, 1828 मे राजा राममोहन राय द्वारा की गई सती प्रथा और बाल विवाह की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए समाज सुधार की पहल, 1848 में सावित्री बाई फुले द्वारा महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने और 1853 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह खोलने की पहल, 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा समाज में जाति व्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई सत्य शोधक समाज की स्थापना, महिलाओं को शोषण से मुक्त कराने की पहल को हम सब जानते हैं। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कोशिशों से हिन्दू पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बना। वर्ष 1882 में रमाबाई के आर्य महिला समाज संगठन के माध्यम अनाथ संरक्षण और बालिका शिक्षा के कार्यों को कौन भुला सकता है। सर सैय्यद अहमद खान ने 1863 में मुस्लिम समुदाय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए साइंटिफिक सोसायटी की स्थापना की। 1875 में हिन्दु समाज सुधार की पहलों के लिए चिरपरिचित गुजरात के स्वामी दयानंद सरस्वती, 1905 में शिक्षा, स्वास्थ्य, शराबबंदी, गरीबी, छुआछूत और अस्पृश्यता, सामाजिक विसंगति के खिलाफ अपनी संस्था के माध्यम से पहल करने वाले बाल कृष्ण गोखले, केरल के श्री नारायण गुरू, आंध्र प्रदेश के कंदुकूरि वीरेश लिंगम,, डॉ. आत्मरंग पांडुरंग, स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर ही देश की भीतरी विसंगतियों को दूर करने करने के लिए जी-जान से जुटे रहे महात्मा गांधी जैसे पुरखों के विचार-कर्मपथ और भाव दर्शन हमारे संविधान में आपको मिल जाएंगे।

राजनैतिक पहलों का इतिहास भी आप तलाशेंगे तो पाएंगे इसकी शुरूआत 1895 से हो गई थी। व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक संगठनों से लेकर उस दौर की रियासतों, राजे-रजवाड़ों तक ने आजादी के बाद देश की व्यवस्था, नियम-कानूनों कैसे होंगे, इसके अपने-अपने प्रारूप बनाए थे और संविधान सभा तक पहुंचे थे।

देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन उससे पहले से संविधान सभा के 299 सदस्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने में लगे हुए थे। यह काम इतना आसान नहीं था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 2 साल 11 महीने, 18 दिनों तक कई बैठकों और बहसों के लंबे दौर चले। इसके बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसे अंतिम रुप दिया। 26

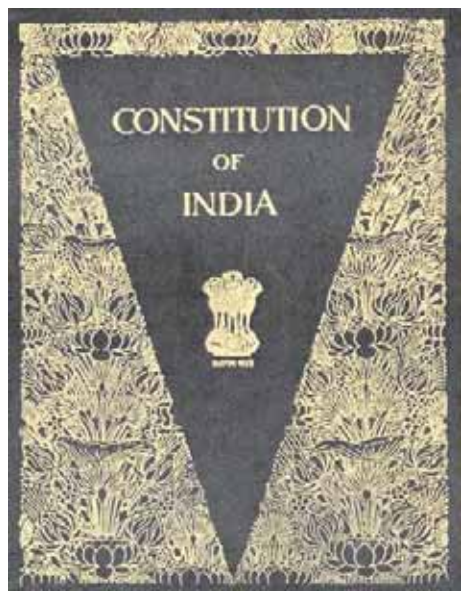

नवंबर 1949 साधारण सभा की आखिरी बैठक में इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसीलिए हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह विश्व का सबसे बड़ा और हस्तलिखित संविधान है। जब संविधान बना, तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। समय-समय पर हुए संशोधनों के बाद वर्तमान में संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अमेरिका, रूस, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों की श्रेष्ठ अवधारणाओं और संवैधानिक मूल्यों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि जो लोग भारत का संविधान बना रहे थे, वे आपस में भी एकमत नहीं थे। उनके विचारों में भारी टकराव था, इसके बावजूद वे हिंसक नहीं थे। उनका विचारों की विविधता और परस्पर प्रेम के भाव में भरपूर विश्वास था। असहमतियां थीं, लेकिन कोई भी सह-अस्तित्व को अनिवार्यता से समझौता नहीं कर रहा था।

जब संविधान की रचना की जा रही थी, तब संविधान सभा में शामिल लोगों ने कई बार कहा था कि हमें एक बेहतर भविष्य के लिए संविधान बनाना है। हमें उन मूल्यों को तय करना है, जिनसे भारत के स्वभाव और चरित्र का निर्माण हो। लेकिन वह यह भी कह गए कि संविधान कितना भी अच्छा बना लीजिए, यदि इसे लागू करने वाले लोगों का समूह और उनका विचार दूषित हुआ, तो अच्छे संविधान के कोई मायने नहीं रह जाएंगे।

संविधान बनने के बाद संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि, हमें एक अच्छा संविधान मिला है, पर यह हमारे नेताओं पर निर्भर करता है कि वो कैसे संविधान को आगे बढ़ाएं। वो अच्छे संविधान को बुरा बना सकते हैं और एक बुरे संविधान को भी अच्छा बना सकते हैं।

अभी हाल ही संविधान संवाद की एक व्याख्यानमाला में अपने संबोधन में सुप्रीमकोर्ट के सेवानिवृत जस्टिस मदन बी. लोकुर ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे संविधान में तीन चार बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो है प्रस्तावना- जिसमें मार्गदर्शक हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, ये मूल्य आधारित दृष्टिकोण हैं, जिससे हम अपने संविधान को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा-संविधान हमें कुछ बुनियादी अधिकार देता है, जैसे-जीवन जीने, अभिव्यक्ति, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता आदि। तीसरा- संविधान में हमारे कर्तव्यों का भी उल्लेख है। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि आप प्रस्तावना को एक तरफ रखें और अधिकारों को दूसरी तरफ और अपने स्वार्थ के हिसाब से संविधान को आगे बढ़ाएं। दरअसल संविधान एक दृष्टिकोण है, एक रोशनी है, जो हमें, देश को आगे बढ़ा सकता है। यह देश के हम यानी नागरिकों और नेताओं पर निर्भर है कि वह इसका कैसे उपयोग करें और कैसे आगे बढ़ाएं। संविधान के दस्तावेज में हर शब्द नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन संवैधानिक भाव और नैतिकता महत्वपूर्ण है, जिसे अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। यह बात इसलिए कर रहा हूं कि आज व्यवस्था की ओर से कई काम और फैसले ऐसे किए जा रहे हैं, जिसमें नागरिक को न्याय नहीं मिल रहा, समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का संरक्षण नहीं हो रहा है।

भारतीय संविधान विविधता और अनेकता में एकता का अनुकरणीय उदाहरण है, जो विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, जातियों, भाषाओं, पहनाओं और परंपराओं के लोगों को एक साथ परस्पर, प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ रहने का संदेश देता है। संविधान की प्रस्तावना की पहली पंक्ति ही है 'हम, भारत के लोग', यह वाक्यांश ही स्पष्ट कर देता है कि भारत का संविधान अपने अधिकार और वैधता लोगों से प्राप्त करता है, कहीं बाहरी व्यक्ति या शक्ति द्वारा थोपा नहीं जाता, बल्कि लोगों द्वारा स्वयं तैयार किया और अपनाया जाता है. संविधान की प्रस्तावना में ही स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीय संविधान का मूल आधार न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, गरिमा जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य हैं। दरअसल मानवीय मूल्य ही संवैधानिक मूल्य है, जिसमें प्रेम, दया और करूणा को विशेष स्थान दिया गया है।

भारतीय संविधान यह तय करता है कि देश में कोई भी व्यवस्था, चाहे वह विधायिका, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका अथवा भारतीय दण्ड संहिता का अनुपालन, सभी को संविधान के दायरे में नियम-कानूनों के अनुसार ही चलेगी। संविधान से परे कुछ भी नहीं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी परिभाषित किया गया है। वंचित वर्ग, सामाजिक, आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि उसे हर वो अधिकार मिले, जो समाज के सक्षम वर्ग को प्राप्त हैं, बशर्ते सत्ता में बैठे लोग, व्यवस्था संविधान की इस भावना को समझें और शब्द नहीं, नैतिकता के आधार पर सही-गलत के फैसले करें।

संविधान दिवस हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति अपने देश के संविधान को लेकर शिक्षित हों, जागरूक हो, उसे जाने और माने। आइए संविधान दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि संविधान के मूल्यों को जीवन में अपनाएंगे और भारत को एक सशक्त, समृद्ध और न्यायप्रिय राष्ट्र बनाएंगे।

संविधान दिवस विशेष

चित्रा माली

सहायक प्रोफेसर गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता।

भारतीय संविधान की उद्देशिका एक संकल्प है

1930 के शुरुआती दशक से ही कांग्रेस ने इस बात जोर दिया था कि भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। 1946 में लॉर्ड वेवेल ने इस बात पर सहमति जतायी और प्रांतीय चुनावों के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। इनके अतिरिक्त सभा में रजवाड़ों के सदस्य भी शामिल थे क्योंकि एक-एक कर रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होते जा रहे थे। एक राष्ट्रवादी अखबार ने लिखा कि गांधी टोपी और नेहरू जैकेटों से भरी सभा में 'नौ महिला सदस्य भी मौजूद थीं,जो संविधान सभा को सतरंगी बना रही थीं'। संविधान सभा के सभी सदस्यों में वैचारिक भिन्नता समाहित थी। कुछ सदस्य नास्तिक,कुछ आध्यात्मिक, कुछ धर्मनिरपेक्ष, कुछ समाजवादी,तो कुछ जमींदार वर्ग के समर्थक थे। आम जनजीवन से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा विचार होगा जिसकी नुमाइंदगी संविधान सभा में न की गई हो। संविधान सभा की प्रक्रिया को जनापेक्षी बनाने के लिए जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे। सैकड़ों तरह के सुझाव व मांग समिति के पास पहुंचे थे। इनमें से कुछ एक अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज संघ (कलकत्ता की संस्था) ने सुझाव दिया कि 'भारत का संविधान प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए'। गौहत्या पर प्रतिबंध और बूचड़खानों को बंद करने संबंधी मांग स्वरूप सुझाव। निचली जातियों के समूहों ने 'ऊंची जातियों द्वारा उनके प्रति किए जा रहे भेदभाव को खत्म करने की मांग की ओर विधायिकाओं,सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों में अपने लिए आरक्षण की मांग की'। भाषायी अल्पसंख्यकों ने मांग की कि 'उनकी मातृभाषा में उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए और भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए'। धार्मिक अल्पसंख्यकों के समूहों ने उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। विशाखापटनम के जिला शिक्षक संगठन और बंबई के केंद्रीय यहूदी बोर्ड ने भी अपने लिए विधायिका समेत सभी सरकारी संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। वैचारिक विभिन्नता और मांगों की विविधता के बीच भारत के संविधान को सामंजस्य स्थापित करना था। भारतीय संविधान संभवतः विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण दिसंबर 1946 से लेकर 1949 तक किया गया (जिसमें दो वर्ष ग्यारह महीने और 17 दिन का समय लगा) और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। संविधान निर्माण के समय संविधान 22 भागों में विभाजित था और उसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान वर्तमान में 25 भागों में विभाजित है और उसमें 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की बैठक 11 सत्रों में आयोजित की गई और 165 दिन इस पर बहस की गई थी। भारतीय संविधान सभा की संपूर्ण कार्यवाही को ग्यारह अंकों में प्रकाशित किया गया है। इनमें से कई अंक तो 1000 पृष्ठों से भी अधिक के हैं। संविधान सभा में 300 से भी अधिक सदस्य थे जिनमें से 20 सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण थे इनमें से बारह के पास विधि की डिग्री थी जिनमें कांग्रेस के मुख्य नेता जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भारत के महान और गौरवशाली अतीत और गांधी जी की भावनाओं के साथ-साथ फ्रांस,अमेरिका और रूस की क्रांति के आधुनिक दृष्टांतों का उल्लेख भी किया। अपने महत्वपूर्ण भाषण में उन्होंने कहा था कि 'भारत को स्वतंत्र, संप्रभु, गणराज्य घोषित किया गया है जिसमें प्रत्येक नागरिक को सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक न्याय में अवसर की समानता,विधि की समानता, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार,आस्था,पूजा, रोजगार, संगठन और सक्रियता की स्वतंत्रता (कानून और जन-नैतिकता के दायरे में) प्रदान की गई हैं'। इसके अलावा अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी इलाकों, वंचितों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की उचित देखभाल करने की बात भी कही। कांग्रेस के दूसरे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न समितियों की कार्यवाहियों में गहन रूप से हिस्सा लिया और उन्होंने कई रिपोर्टस भी तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में यह पटेल ही थे जिन्होंने परस्पर विरोधी विचार वाले सदस्यों के बीच मध्यस्थता का काम किया और कई मुद्दों पर आम सहमति कायम की। हठी और जिद्दी किस्म के सदस्यों से पटेल सुबह टहलते समय बात करते थे और उन्हें मुद्दे पर व्यापक दृष्टिकोण से अवगत कराते थे। अल्पसंख्यकों का अधिकार संबंधी प्रस्ताव संविधान सभा में सरदार पटेल के द्वारा ही पेश किया गया था। संविधान सभा के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के उद्घाटन के दिन ही इन्हें नामांकित किया

गया था और वे अपने कार्यालय की समाप्ति तक इस पद पर गरिमापूर्ण तरीके से विराजमान रहे। आपका कार्य बड़ा जटिल था आपको बहस और विवाद करते समूहों के बीच शांति स्थापित करना था इसी के साथ उन्हें समय-सीमा का ध्यान रखने वाले अधिकारी को भी निर्देशित करना होता था और सभी वक्ताओं को धैर्य से सुनना भी पड़ता था। क्योंकि आमतौर पर भारतीय लोग श्रोता की तुलना में वक्ता ही बेहतर होते हैं खासतौर पर भारतीय राजनेताओं के साथ ऐसा ही होता है। कांग्रेस की इस त्रिमूर्ति से अलग संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बी.आर.अंबेडकर भी थे। इनके अतिरिक्त के.एम. मुंशी,अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर,बी.एन.राव की भी संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतीय संविधान की उद्देशिका संबंधी मूल प्रस्ताव में नेहरू ने भाव विह्वल होकर भारत के मेहनतकश किसानों और मजदूरों के सपनों का हिंदुस्तान बनाने का आह्वान किया था। नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्य-संकल्प को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया। नेहरू के शब्दों में भारतीय संविधान की उद्देशिका 'संकल्प से कुछ अधिक है,यह एक घोषणा है,एक दृढ़ निश्चय है,एक प्रतिज्ञा है,एक वचन है और हम सभी के लिए यह एक समर्पण है'। भारतीय संविधान की वर्तमान प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी,सेकुलर, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। 1976 में बयालीसवें संविधान संशोधन के बाद समाजवाद और सेकुलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना इस प्रकार थी 'हम भारत के लोग,भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार,अभिव्यक्ति, विश्वास,धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत,अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।' हम भारत के लोग .... इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है। तीन जनवरी 1977 में प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के स्थान पर 'समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य' शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक एक शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ और महत्वपूर्ण स्थान है जो भारत को एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। भारतीय संविधान की रचना अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रख कर की गई है। जो हर एक नागरिक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र विकास के लिए वचनबद्ध है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन इसी उद्देश्य के साथ किया गया है जिससे किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है उसके चाहने पर भी नहीं। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का समावेश भी इसमें किया गया है ताकि कल्याणकारी राज्य का सपना साकार किया जा सके। इसी के साथ नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन भी भारतीय संविधान में किया गया है। 25 जनवरी 1949 को डॉ. बी.आर.अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत के लोग भी लोकतंत्र की कुछ प्रणालियों से जरूर वाकिफ़ थे। एक ऐसा भी वक्त था जब हिंदुस्तान गणराज्यों से अटा पड़ा था। उन्होंने विशेष रूप से बौद्ध धर्म का जिक्र किया और कहा कि बौद्धों ने अपने भिक्षु संघों में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा दिया था,जिसमें संसदीय कार्यवाहियों की तरह ही नियमों का पालन किया जाता था। वहां भी मतदान, प्रस्ताव, कटौती और चेतावनी जैसे संसदीय नियमों का इस्तेमाल होता था। डॉ. अंबेडकर ने सदन को आश्वस्त किया कि संघ का मतलब ये नहीं है कि राज्यों को कोई सार्थक शक्ति हासिल ही नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये बात गलतफहमी के तहत फैली है कि केंद्र के पास 'अत्यधिक शक्तियां हैं और राज्यों की हालत नगरपालिका जैसी हो गई है'। संविधान ने विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। केंद्र और राज्य इस मामले में एक समान हैं। डॉ. अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य सदस्यों,अपने सहयोगी कर्मचारियों और कांग्रेस पार्टी को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस पार्टी के अनुशासन की वजह से ही ड्राफ्टिंग कमेटी,संविधान सभा में संविधान बनाने का काम यह जानते हुए भी कर पाई कि हरेक धारा और हरेक संशोधन का क्या भविष्य होने वाला है'। संविधान सभा की कई महत्वपूर्ण बहसें और किस्से हैं जिन्हें पढ़ा जाना आवश्यक है। तभी व्यापक रूप से हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसके मूल विचार को आत्मसात कर पाएंगे। महज एक दिन प्रस्तावना के पाठ से यह संभव नहीं है।

संविधान दिवस विशेष

प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक शैक्षिक संवाद मंच उ.प्र. के संस्थापक हैं।

संविधान ही है लोक एवं देश का मार्गदर्शक

परिवार देश की लघुतम इकाई होती है। परिवार से मिलकर ही एक वृहत् समाज की रचना सम्भव होती है। प्रत्येक घर-परिवार एवं समाज में सदस्यों के कार्य व्यवहार एवं आचरण हेतु एक अलिखित नियमावली या संहिता होती है। परिवार एवं समाज अपने सदस्यों से अपेक्षा रखता है कि समाज की बेहतरी के लिए सभी जन इन नियमों का पालन करते हुए तालमेल एवं संगति से ही कार्य संपादन करेंगे। नियमानुकूल आचरण कर समाज की विकास धारा को गतिशील रखते हुए उसे समृद्धि प्रदान करेंगे। नियमों में आबद्ध लोक अपनी कार्य संस्कृति से सतत ऊर्ध्वगामी यात्रा करता है। नियमानुशासित लोकाचरण से समाज में सद्वृत्ति, सद्नीति, शुचिता, सत्यान्वेषण, सहकार, समन्वय, सख्यभाव एवं सद्संस्कारों का बीजवपन, पल्लवन एवं फलन होता है और अराजकता, अनैतिकता, अशौच, अनीति के लिए कोई स्थान शेष नहीं होता। इन नियमों के परिनिष्ठित, परिमार्जित, प्रांजल लिखित स्वरूप को देश के संदर्भ में संविधान संज्ञा से अभिहित किया जाता है जिसमें लोक की शक्ति निहित होती है और जो विधायिका से अनुमोदित होता है। हम कह सकते हैं कि संविधान व्यष्टि से समष्टि की एक सुखाकांक्षी यात्रा है जिसमें लोक कल्याणकारी एवं समतामूलक समाज रचना के सूत्र आधार रूप में विद्यमान होते हैं। संविधान लोकमंगल, लोक सुख-समृद्धि एवं लोक चेतना का उद्घोष करता है। भारत में हम 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाकर न केवल संविधान बनाने वाले डॉ.भीमराव अम्बेडकर एवं अन्य विधि वेत्ताओं के योगदान एवं प्रयासों को स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बल्कि देश में एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर बंधुत्व भाव के प्रसार के लिए भी संकल्पित हो कटिबद्ध होते हैं।

संविधान दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है जो 25 भागों में विभाजित है। समिति ने भारतीय संविधान को पूर्ण करने में 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन समय लिया और 166 दिन बैठक कर 114 दिन बहस किया था। संविधान सभा की पहली बैठक दिसम्बर 1946 में हुई थी। भारत का संविधान लचीला है और कठोर भी। लचीला इस संदर्भ में कि संसद कुछ कानूनों में सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है लेकिन कुछ प्रावधानों में संशोधन हेतु राज्य सरकारों की सहमति एवं दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था और अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। संविधान की प्रस्तावना न केवल संविधान का परिचयात्मक खंड है बल्कि दार्शनिक आधार भी। प्रस्तावना का आरंभ वाक्यांश 'हम भारत के लोग' से होता है अर्थात संविधान लोक के शक्ति का प्रतिबिंब है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी देता है। व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की अखंडता हेतु वह बंधुत्व भाव को महत्वपूर्ण मानते हुए तदनुकूल आचरण की अपेक्षा करता है। नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा गया है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् 2006 विक्रमी को अंगीकृत किया गया था। इस दिन को स्मरण रखने और डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान के प्रचार प्रसार हेतु भारत सरकार द्वारा 2015 में डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर मुंबई में उनकी स्टैच्यू आफ इक्वलिटी मेमोरियल की आधारशिला रखने के दौरान घोषणा की गई थी। और तब से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संपूर्ण देश में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर संविधान दिवस मना कर देश भीमराव अंबेडकर को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हालांकि अंबेडकर के प्रयासों को सामान्य जनमानस तक पहुंचाना एवं देश में भाईचारे की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस हम पहले भी मनाते रहे हैं। संविधान बनाने हेतु संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 में की गई थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1940 में मान लिया था। 29 अगस्त, 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की समिति की स्थापना की गई थी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर चुने गए थे। संविधान सभा में विभिन्न रियासतों से 389 सदस्य थे लेकिन देश विभाजन के बाद 299 सदस्य ही बचे। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा का सदस्य नहीं था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण हेतु पहली बैठक संसद भवन में 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी जिसमें 207 सदस्य शामिल हुए थे। भारत का संविधान हस्तलिखित है जिसे प्रेम बिहारी ने अंग्रेजी एवं हिंदी में विशेष शैली एवं तकनीक से लिखा है। मूल प्रति में 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं जिसके प्रत्येक पृष्ठ में देश के प्रसिद्ध चित्रकारों के बनाए हुए आकर्षक मनोहारी पारम्परिक चित्र दृष्टव्य हैं।

हमारा संविधान लोक के लिए स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुत्व एवं सह-अस्तित्व का लक्ष्य लेकर चल रहा है जिसे प्राप्त करने का उपाय लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य रचना है। राजनीतिक न्याय के लिए एक व्यक्ति के एक वोट निश्चित है। उसका एक वोट सरकार के निर्माण में सहायक है और देश के विकास में भी। एक वोट का क्या महत्व है इसको हम प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई की सरकार का 1 वोट से गिर जाने से समझ सकते हैं। लोक की समृद्धि में ही राष्ट्र की समृद्धि है और समृद्धि के लिए आवश्यक है परस्पर प्रेम, सद्भाव, माधुर्य; जहां गैर बराबरी के लिए कोई जगह न हो, जहां एक धरातल पर अवस्थित हो सभी अपनी पात्रता, क्षमता एवं रुचि-सुविधानुसार कार्य कर सकें। जहां मानव मानव में कोई भेदभाव की दीवार न हो। इसीलिए अस्पृश्यता एवं उपाधियों का उन्मूलन किया गया है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। लेकिन एक नागरिक की स्वतंत्रता एवं अधिकार दूसरे नागरिक की स्वतंत्रता एवं अधिकार के उल्लंघन का निषेध करता है। हमारी स्वतंत्रता अन्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बन सकती। हम कल्याणकारी समतामूलक समाज रचते हुए देश को संपूर्ण विश्व में प्रेम, सद्भाव, अहिंसा, शांति, समृद्धि का ध्वजवाहक सिद्ध कर सकने में यथा सामर्थ्य कटिबद्ध होकर कर्मरत होंगे, यही हम सबका शुभ संकल्प होगा।

अजाक्स के अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज में भारी रोष

परशुराम सेना का विरोध, कानूनी कार्रवाई की मांग की गई

इंदौर। अजाक्स संगठन के अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की महिलाओं को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। मामले को लेकर ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने कड़ी नाराज़गी जताई और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। इस क्रम में परशुराम सेना इंदौर से जुड़े संदीप शर्मा ने एक वीडियो जारी कर समाज के विरोध को सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि संतोष वर्मा की टिप्पणी समाज का अपमान है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना आवश्यक है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि समाज कानूनी और सामाजिक रूप से इस मुद्दे पर मुखर रहेगा तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेगा। संदीप शर्मा ने यह भी कहा कि यदि इस प्रकरण में किसी सामाजिक कार्यकर्ता पर कानूनी कार्रवाई होती है तो उसका कानूनी खर्च परशुराम सेना द्वारा वहन किया जाएगा। समाज के वरिष्ठ लोगों का कहना है कि किसी भी समुदाय की महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी अस्वीकार्य है। ब्राह्मण समाज ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर आवश्यक वैधानिक कदम उठाए जाएँ, ताकि भविष्य में कोई भी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति असम्मानजनक टिप्पणियाँ न कर सके। पूरे प्रकरण को लेकर शहर में चर्चा बनी हुई है और समाजजन शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं।

खंडवा रोड पर बस-बाइक भिड़ंत में दो किशोरों की दर्दनाक मौत

सिमरोल में फिर बड़ा हादसा, चालक बस छोड़कर फरार

इंदौर। सिमरोल थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक बार फिर तेज रफ्तार ने दो मासूम जिंदगियां निगल लीं। खंडवा रोड स्थित चोखी ढाणी के पास निर्माणाधीन पुल के करीब एक तेज रफ्तार बस ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी,जिसमें दो किशोर विजय मावी (18) और रवी मावी (17) की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों शिव नगर गांव के रहने वाले थे और काम खत्म कर घर लौट रहे थे। गंभीर हालत में उन्हें एमवाय अस्पताल लाया गया,जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। सिमरोल थाना प्रभारी अमित भीमोर ने बताया कि प्राथमिक जांच में ओवरटेक के दौरान हुई टक्कर की आशंका जताई गई है। मृतक आपस में चचेरे भाई थे और मज़दूरी का कार्य करते थे। पिछले कुछ महीनों में इंदौर में बसों की टक्कर से होने वाली दुर्घटनाओं में तेज बढ़ोतरी हुई है। 3 नवंबर को भेरूघाट में बस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 31 अक्टूबर और 17 सितंबर को भी बसों की टक्कर में कई लोगों की जान जा चुकी है। 20 अगस्त को मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी की बस से हुए हादसे में दो लोगों की जान गई थी। लगातार हो रहे हादसों ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

डिवाइडर में घुसी कार, जनहानि नहीं

इंदौर। हादसे से बचने पुलिस लगातार वाहन चालकों को समझाइश दे रही है। इसके बावजूद दो और चार पहिया वाहन चालक अनियंत्रित गति से वाहन दौड़ाते हैं, जिससे वे कई बार हादसे के शिकार भी हो जाते हैं। सोमवार शाम सवा छह बजे के लगभग कार क्रमांक एमपी-09-सीबी-1766 का चालक सत्य साईं चौराहे से देवासनाका की ओर जा रहा है। कार की गति काफी तेज थी। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में वह पटेल मोटर्स के सामने बीआरटीएस के डिवाइडर में घुस गया, जिससे कार के अगले हिस्से को काफी नुकसान हुआ है। हादसे में चालक को मामूली चोट आई है।

कार का कांच फोड़कर गहने चुराए

इंदौर। किला मैदान गुटकेश्वर मंदिर के बाहर खड़ी कार से अज्ञात बदमाश ने कांच फोड़कर लाखों के गहने और नकदी चुरा लिए। पीड़ित परिवार खरगोन से यहां शादी समारोह में शामिल होने आया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सदर बाजार पुलिस के अनुसार, जब परिवार समारोह में शामिल होकर एक घंटे बाद लौटा तो उन्होंने देखा कि कार का आगे का कांच टूटा हुआ था। आगे की सीट पर रखे बैग की जांच करने पर पता चला कि उसमें रखी 45 हजार रुपए और सोने की ज्वेलरी गायब थी।

सीएम केयर योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए औपचारिकताएँ प्राथमिकता से करें पूर्ण : उप मुख्यमंत्री

सुपर-स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता समय की मांग

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में सीएम केयर योजना अंतर्गत प्रस्तावित सुपर-स्पेशलिटी स्वास्थ्य अधोसंरचना के शीघ्र विस्तार के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को शीघ्र एवं प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को जटिल हृदय रोग, कैंसर एवं अन्य उच्च स्तरीय उपचारों के लिए अब बाहर जाने की आवश्यकता न रहे, इसके लिए योजना का प्राथमिकता से क्रियान्वयन आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सुपर-स्पेशलिटी सीटों की उपलब्धता बढ़ाने, तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रहा है। बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमडी/एमएस की 1909 सीटें, डीएम की 41 सीटें तथा एम.च. की 43 सीटें स्वीकृत हैं। उन्होंने कहा कि सुपर-स्पेशलिटी शिक्षा के विस्तार से प्रदेश में हृदय रोग, कैंसर, रेडियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, युरोलॉजी सहित अन्य जटिल बीमारियों के उपचार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आयुष्मान भारत के उपचार डेटा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जनरल मेडिसिन, युरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और सीटीवीएस जैसी सुपर-स्पेशलिटी सेवाओं की मांग

लगातार बढ़ रही है। आयुष्मान योजना में कैंसर के कीमोथेरेपी, डायलिसिस संबंधित, एंजियोग्राफी-एंजियोप्लास्टी, रेडियोथेरेपी, सीटी-एमआरआई-पीईटी स्कैन, सीटीवीएस-लैप्रोस्कोपी आदि तृतीयक सेवाओं की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। ऐसी स्थिति में भविष्य की मांग अनुसार शीघ्र तैयारी पूर्ण कर स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं का विकास करना होगा।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुपर-स्पेशलिटी विभागों के उन्नयन, आवश्यक मानवबल, उपकरणों, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण तथा संबंधित अनुमतियों की प्रक्रिया को युद्धस्तर पर पूर्ण किया जाए, ताकि सीएम केयर योजना का लाभ शीघ्र आमजन तक पहुँच सके। सीएम केयर योजना का उद्देश्य प्रदेश में कार्डियक और ऑन्कोलॉजी उपचार को उच्च गुणवत्ता के साथ सुलभ बनाना है। इसके अंतर्गत ऑन्कोलॉजी/ऑन्को-सर्जरी, कार्डियोलॉजी और सीटीवीएस में अधिक सुपर-स्पेशलिस्ट तैयार करना, कार्डियक एवं कैंसर उपचार के तृतीयक ढांचे को मजबूत करना, उन्नत उपचार पर होने वाले जेब खर्च को घटाना, कार्डियोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी में उत्कृष्टता संस्थान विकसित करना, राज्य में रोबोटिक सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट कार्यक्रम सुदृढ़ीकरण शामिल है। बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त श्री तरुण राठी, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अरुणा कुमार सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

आमला ने रचा कीर्तिमान- एसआईआर सर्वे में मध्यप्रदेश में प्रथम स्थान

100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा करने वाली राज्य की पहली विधानसभा

बैतूल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित एसआईआर सर्वे में बैतूल जिले की आमला विधानसभा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मध्यप्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आमला विधानसभा ने 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का लक्ष्य सबसे पहले पूरा कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। कुल 2,19,778 मतदाताओं में 100 फीसदी मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। कलेक्टर बैतूल नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतत मॉनिटरिंग, बीएलओ और सुपरवाइजर्स की मेहनत तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की सतत निगरानी का परिणाम रहा कि आमला विधानसभा ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की हैं।

बीएलओ और सुपरवाइजर्स ने किया शानदार कार्य

एसआईआर सर्वे के दौरान आमला के बीएलओ और सुपरवाइजर्स की टीम ने घर-घर पहुंचकर डेटा संग्रह करने के साथ जन्म-मृत्यु, निवास, पहचान एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया। दूरस्थ क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद टीम ने समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य प्रस्तुत किया। एसडीएम शैलेंद्र कुमार बड़ोनिया ने बताया कि आमला की सफलता यह प्रमाणित करती है कि जब प्रशासनिक व्यवस्था और फील्ड टीम समन्वित होकर कार्य करती है तो परिणाम हमेशा उत्कृष्ट होते हैं।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने दी बधाई

असाधारण प्रदर्शन के लिए बैतूल कलेक्टरनरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आमला शैलेंद्र कुमार बड़ोनिया, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शत्रुघ्न सिन्हा, सुश्री ऋचा कौरव तथा आमला के सभी बीएलओ, सुपरवाइजर्स, जनपद और नगरीय निकाय के अधिकारी एवं अमले को बधाई संदेश प्रेषित किया है।

महानगरों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा बैतूल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नगर के विभिन्न विकास कार्यों का किया स्थल निरीक्षण

बैतूल। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष व बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने आज अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बीच नगर के विभिन्न विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। नगर को महानगरों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाए जाने हेतु वे लगातार प्रयासरत हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रस्तावित कार्यों को

गुणवत्ता के साथ नियत समय सीमा में तीव्र गति से पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष पार्वतीबाई बारस्कर, उपाध्यक्ष महेश राठौर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका एवं लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर सहित पार्षद एवं सभापति गण पिंटू परिहार, रघुनाथ लोखंडे, वरुण धोटे, पवन यादव, कोठी बाजार मंडल अध्यक्ष विक्रम वैद्य तथा स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने नेहरू पार्क के पास चौपाटी स्थल पर पहुचकर निरीक्षण किया। यहां 1 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से व्यापक सौंदर्यीकरण एवं आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य में किसी भी प्रकार की विलंबता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्य आदेश जारी हो चुका है और उन्होंने तत्काल कार्य प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह चौपाटी बैतूलवासियों को आधुनिक मनोरंजन और आकर्षण का नया केंद्र उपलब्ध कराएगी। निरीक्षण भ्रमण के दूसरे पड़ाव में हेमंत खंडेलवाल पुलिस ग्राउंड पहुंचे। यहां पीडब्ल्यूडी चौक साइड स्थित ग्राउंड के कोने पर निर्माणाधीन भवन को योग भवन के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही ग्राउंड के पीछे की ओर आवश्यकतानुसार टॉयलेट्स का निर्माण भी प्राथमिकता से करवाया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागीय इंजीनियरों को निर्देश दिए कि कार्य समय पर और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण होना चाहिए। कोठीबाजार स्थित गांधी चौक के निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग का विस्तृत अध्ययन कर समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यस्ततम बाजार क्षेत्र होने के चलते यहां पार्किंग की समस्या को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है।

बैतूल में नवनिर्वाचित युवा कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन

वरिष्ठ नेताओं ने गांव-गांव संगठन मजबूत करने का दिया संदेश

बैतूल। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय गंज में हुए युवा कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे और जिलाध्यक्ष निलय डागा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हर गांव में 20-20 कार्यकर्ताओं की टीम बनाने के निर्देश दिए।

पूर्व विधायक धरमू सिंह सिरसाम और ब्रह्मा भलावी ने युवाओं को आगामी चुनावों के लिए अभी से कमर कसने और जिले की सशक्त आवाज बनकर काम करने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष संजय सरदार यादव ने बताया कि जिले में पचास हजार से अधिक युवा कांग्रेस सदस्य बनाए गए हैं और सभी को युवा कांग्रेस चुनाव के माध्यम से सौपी गई जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। सम्मेलन में सभी ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही तथा निर्णय लिया गया कि 27 नवंबर को भोपाल में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव किया जाएगा।जिसमें जिले के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप

प्रज्वलन से हुई। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी युवा निर्वाचित होकर आए हैं और अब जिले के प्रत्येक गांव में कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करना उनका पहला दायित्व है।

जिलाध्यक्ष निलय डागा ने पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि युवा कांग्रेस पार्टी की मजबूती की रीढ़ है और युवाओं के मुद्दों पर पूरे जिले में सक्रियता से काम किया जाना चाहिए।

वहीं पूर्व विधायक ब्रह्मा भलावी ने कहा कि युवा कांग्रेस से ही निकलकर कई बड़े नेता पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, इसलिए सभी पदाधिकारी बैतूल जिले की सशक्त आवाज बनकर कार्य करें। कार्यक्रम में ब्रजभूषण पांडे, समीर खान, अनुराग मिश्रा, नितिन गाडरे, मनोज आर्य, लवलेश राठौर, पुष्पा पेंदाम, जगदीश गोचरे सहित सभी युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पार्टी गमछे से स्वागत किया और अंत में राष्ट्रगान हुआ।

सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य में गति लाएं: विधायक

सिंचाई और बिजली व्यवस्था सुचारू रहें, औद्योगिक निवेश के लिए लैंड बैंक बढ़ाए,विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित

बैतूल। मंगलवार को विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर निवास पर किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बैतूल हेमन्त खंडेलवाल, विधायक आमला डॉ योगेश पंडाग्रे, विधायक घोड़ाडोंगरी श्रीमती गंगाबाई उईके, विधायक भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान द्वारा विभागवार योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन, वन मंडल अधिकारी नवीन गर्ग, वन मंडल अधिकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत वासनिक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें। बैठक सबसे पहले कृषि, सहकारिता एवं जल संसाधन के विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। विधायक श्री खंडेलवाल ने जिले में खाद की उपलब्धता एवं वितरण की जानकारी लीं। उप संचालक कृषि ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हैं। विधायक जी की पहल पर किसानों को सुगमता से खाद मिलें और केंद्रों पर अनावश्यक लाइन न लगें इसके लिए व्यवस्था बनाई गई हैं। जिसके अच्छे परिणाम भी मिले हैं। जिससे खाद का सुचारू रूप से वितरण जारी हैं। उन्होंने फसल सर्वे और फसल बीमा के भुगतान की भी जानकारी लीं। उप संचालक कृषि ने बताया कि अभी तक 6835 किसानों को 7 करोड़ से अधिक की

राशि का भुगतान किया जा चुका हैं, शेष प्रभावित किसानों को भुगतान जारी है।

मंडी में व्यवस्थाएं दुरूस्त करने के दिए निर्देश - विधायक श्री खंडेलवाल ने बैतूल मंडी में भी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। विधायक श्रीमती गंगाबाई उईके ने कहा कि चोपना में सहकारी बैंक की व्यवस्था की जाएं। जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक ने बताया कि चोपना में बैंक के लिए एग्लाई कर दिया हैं। आमला विधायक डॉ पंडाग्रे ने भी खेड़ली बाजार में सहकारी बैंक खोले जाने की बात कहीं, जिस पर सीईओ जिला सहकारी बैंक ने बताया कि खेड़ली बाजार का प्रस्ताव भी पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका हैं। विधायक भैंसदेही श्री चौहान ग्राम खोमाई में समिति में नेटवर्क सम्बन्धी समस्या के निराकरण की बात कहीं। जिस पर समिति में नेटवर्क कनेक्शन दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।

सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्यो में गति लाए - जल संसाधन विभाग की समीक्षा में मेंढ़ा, घोघरी, शीतलझिरी, निर्गुण,रामघाटी सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई, जिस पर सभी विधायकों ने कहा कि निर्माण कार्यों में गति लाएं। लेटलतीफी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएं। विधायक श्री खंडेलवाल ने कहा कि पारसडोह सिंचाई परियोजना से किसानों को सुचारू रूप से पानी मिले। बैतूल में सिंचाई एवं पेयजल के लिए माचना एवं ताप्ती नदी का स्थल निरीक्षण कर उपयुक्त स्थल पर बैराज निर्माण का प्रस्ताव भी बनाएं।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने डिजिटाइजेशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजरों का किया सम्मान

बैतूल। निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान जिले में डिजिटाइजेशन कार्य में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को शाल, श्रीफल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने आमला, मुलताई, घोड़ाडोंगरी और भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजरों के उत्कृष्ट कार्यो की सराहना करते हुए कहा कि मतदाता सूची जितनी शुद्ध होगी, लोकतांत्रिक प्रणाली उतनी ही मजबूत होगी। बीएलओ ही वो कड़ी हैं जो घरङ्घर जाकर मतदाताओं की सही जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सटीक रूप में दर्ज करते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण बड़ी जिम्मेदारी होती है। पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना, गलत प्रविष्टियों को सुधारना और जो अपात्र हैं उन्हें हटाना ये काम बेहद संवेदनशील हैं। आप सभी ने समय पर और गुणवत्तापूर्ण काम कर सराहनीय कार्य किया है।

इन बीएलओ ने किया शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन.- बैतूल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक -131 के अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 150 के बीएलओ बारीकराव सरियाम प्राथमिक शिक्षक ने 558 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया है। इसी प्रकार मतदान केंद्र क्र 170 के बीएलओ सुनिल पदाम शिक्षक ने 519 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन तथा मतदान केंद्र 221 के बीएलओ दिनेश माथनकर शिक्षक ने 529 मतदाताओं का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया है। घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-132 के मतदान केंद्र 9 के बीएलओ सुरे सिंह काजले प्राथमिक शिक्षक ने 163 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन, मतदान केंद्र 87 की बीएलओ श्रीमती पूजा मंडल माध्यमिक शिक्षक ने 506 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया। इसी प्रकार भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र क्र-133 के मतदान केंद्र 37 की बीएलओ श्रीमती सकुन उइके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, डीसीएस सर्वेयर पप्पू उईके ने 121 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कार्य तथा मतदान केंद्र 318 के बीएलओ पांडुरंग अमरघड़े प्राथमिक शिक्षक, सहायक शंकर चरपे शिक्षक व ग्राम कोटवार राम भाऊ ने 327 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया है।

इन बीएलओ सुपरवाइजरों ने किया शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन.- आमला विधानसभा क्षेत्र क्र-130 के बीएलओ सुपरवाइजर पुरुषोत्तम यादव उच्च माध्यमिक शिक्षक, रामप्रसाद पाल उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा अनिल बिंझाड़े उच्च माध्यमिक शिक्षक ने अपने प्रभार के 10 मतदान केन्द्रों पर शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया है, जो मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण करने वाली विधानसभा है। इसी प्रकार मुलताई विधानसभा क्षेत्र 129 के बीएलओ सुपरवाइजर माधव कुमार बिसंद्रे उच्च माध्यमिक शिक्षक ने 99.27 प्रतिशत तथा बीएलओ सुपरवाइजर हेमन्त कुमार पाटील उच्च माध्यमिक शिक्षक ने 98.91 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया है।

11 लाख 5 हजार 278 गणना प्रपत्र मतदाताओं ने किए जमा- बैतूल जिले में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अन्तर्गत बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्रों को बीएलओ एप के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। गणना पत्रक के कार्य की प्रगति की सतत समीक्षा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा की जा रही है। जिसके फलस्वरूप जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा बीएलओ एप के माध्यम से गणना पत्रक ऑनलाईन डिजिटाइजेशन कार्य प्रगति से किया जा रहा है। अब तक करीब 11 लाख 5 हजार 278 गणना प्रपत्र मतदाताओं द्वारा भरकर बीएलओ को जमा करा दिए है।

सुयोग कॉलोनी में कुत्तों का आतंक घर के बाहर खड़े युवक को काटा, नपा सीएमओ को सौंपा ज्ञापन

बैतूल। सुयोग कॉलोनी विकास नगर बैतूल में पालतू और आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर आवेदक राजेश यादव ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। राजेश यादव ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि 22 नवंबर को उनके घर के ठीक सामने एक कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और उनके हाथ में काट लिया। कुत्ते के गले में चैन भी थी, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि वह कुत्ता किसी का पालतू था या फिर आवारा घूम रहा था। राजेश यादव ने सीएमओ से निवेदन करते हुए कहा है कि सुयोग कॉलोनी में लगातार बढ़ रहे कुत्तों के आतंक से कॉलोनी के लोग दहशत में हैं और कभी भी किसी बड़ी घटना की संभावना बनी रहती है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से आग्रह किया है कि क्षेत्र में घूम रहे पालतू एवं आवारा कुत्तों की तत्काल पकड़ धकड़ कराई जाए, ताकि सुयोग कॉलोनी में सुरक्षित माहौल बन सके।

वैकल्पिक राजनीति पर उड़ीसा में हुआ मंथन, देश भर से जुटे पदाधिकारी

बैतूल। समाजवादी जनपरिषद का राष्ट्रीय सम्मेलन उड़ीसा के टीटलागढ़ में हुआ। समाजवादी जनपरिषद एक राजनीतिक दल होकर पार्टी के विधान अनुसार हर 2 वर्ष में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन भी किया जाता है। यह सम्मेलन 22-23 नवम्बर को उड़ीसा राज्य के बलांगीर जिला अंतर्गत आने वाले टीटलागढ़ में आयोजित किया गया।

आठनेर में शुरू हुई आधुनिक एसओडीईएस डिजिटल लाइब्रेरी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और केंद्रीय राज्यमंत्री ने किया शुभारंभ, ग्रामीण अंचल में रहने वाले विद्यार्थियों हेतु खुला ज्ञान का नया द्वार

बैतूल। आठनेर में ग्रामीण छात्रों और युवाओं हेतु बहुप्रतीक्षित एसओडीईएस डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ भवानी कंप्यूटर अकादमी आठनेर के भवन में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व विधायक हेमन्त खंडेलवाल और केंद्रीय राज्यमंत्री डीडी उइके के हस्ते हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष हेमन्त खंडेलवाल ने कहा कि आज का युग पूर्णतः डिजिटल है, ऐसे दौर में शिक्षा भी डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध हो रही है और यह लाइब्रेरी युवाओं हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। केंद्रीय राज्यमंत्री डीडी उइके ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञानवर्धन का सशक्त माध्यम बनेगी और अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ लेना चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार, भाजपा मंडल अध्यक्ष गोवर्धन राने, मनोज जगताप, सूरज राठौर, पूर्व अध्यक्ष अजय फोटोफोड़े, पूर्व पार्षद बंटी अडलक, भवानी कंप्यूटर सेंटर आठनेर के छात्र-छात्राएं और नगर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व संचालक और पूर्व पार्षद डॉ. प्रतिभा सतीश ठाकरे ने डिजिटल लाइब्रेरी की आवश्यकता पर जोर देते कहा कि हमारा प्रयास है कि ऐसी सुविधा दी जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को बड़े शहरों जैसी डिजिटल शिक्षा उनके गांव में ही मिल सकेगी और यह पहल युवाओं के भविष्य निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित अध्ययन ही आने वाले समय की वास्तविक शक्ति होगा।

कार्यक्रम के समापन पर भवानी कंप्यूटर सेंटर के संचालक सतीश ठाकरे ने सभी अतिथियों एवं नगरवासियों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि लाइब्रेरी को सफल बनाना पूरे आठनेर की सामूहिक जिम्मेदारी है और यही प्रयास क्षेत्र के विद्यार्थियों को नई दिशा प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 194 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ और लोकार्पण किया

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर भोपाल के कटारा-बर्रई में बनेगा बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार गरीब, किसान, महिला एवं युवा कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रेरणा और विजन के अनुरूप वर्ष-2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार विकास और सुशासन की गतिविधियां जारी रखते हुए हरसंभव सहयोग और योगदान दे रही है। इसी क्रम में हुजूर विधानसभा क्षेत्र के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर (कोलार) में आज 194 करोड़ रुपए लागत के विकास और जनकल्याण के तीन बड़े कार्य भोपालवासियों को समर्पित किए जा रहे हैं। इसमें कटारा-बर्रई क्षेत्र में नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण, कोलार में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण और अमृत 2.0 के अंतर्गत अधोसंरचना निर्माण कार्य का शुभारंभ शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को महान राष्ट्र नायक, प्रखर राष्ट्रवादी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से सुशोभित मुखर्जी नगर (कोलार) के बंजारी क्षेत्र में आयोजित विकास पर्व कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कोलार क्षेत्र में आधुनिक खेल परिसर 9 एकड़ भूमि पर 11 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस खेल परिसर से भोपाल और आसपास के युवाओं को ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की सुविधा मिलेगी और खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ेगा। आधुनिक खेल स्टेडियम भविष्य के चैंपियंस का लॉन्च पैड बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार मलखंब, कबड्डी, घुड़सवारी जैसे हमारे पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आ सके और वे राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी वॉटर स्पोर्ट्स, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, घुड़सवारी, मलखम्ब जैसे खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर शासकीय नौकरी भी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 29 करोड़ रुपए की लागत से कटारा-बर्रई में नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालय से क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिकतम शिक्षा सुविधा और संसाधन उपलब्ध होंगे।

अमृत 2.0 में ऐसे बिछेगा सीवेज सिस्टम

अमृत 2.0 के तहत बिछाए जाने वाले सीवेज सिस्टम की कुल 155 करोड़ रुपए लागत आएगी, जो 3 साल यानी, नवंबर-2028 तक पूरा होगा। इसमें बैरागढ़ के 3 वार्ड (4, 5-6) और कोलार के 6 वार्ड (80, 81, 82, 83, 84-85) शामिल हैं।

लाउखेड़ी में एसटीपी बनेगा, जबकि गुफा मंदिर, भैरवपुर, दीपड़ी, छाप और बर्रई में पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 5284 मैन होल चैंबर और 10 हजार 568 चैंबर बनाए जाएंगे। कुल 20 हजार घरों में सीवेज कनेक्शन होंगे, जबकि डेढ़ लाख लोगों को फायदा मिलेगा।

कटारा-बर्रई को मिलेगी 800 करोड़ रुपए के स्टेडियम की सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हुजूर विधानसभा क्षेत्र के कटारा-बर्रई (वार्ड नं. 85) में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से 800 करोड़ रुपये लागत का बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की घोषणा की। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर (कोलार) में 16 एकड़ भूमि पर नया दशहरा मैदान बनाने एवं कोलार में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए कजलीखेड़ा में नया थाना बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में गुंडे-बदमाशों पर नकेल कसने के लिए सरकार सख्त कार्यवाही कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल शहर के प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम पर 7 भव्य द्वार तैयार किए जाएंगे। सरकार के सफलतम दो वर्ष पूर्ण होने पर 13 दिसम्बर को इन्दौर-सीहोर मार्ग पर भव्य विक्रमादित्य द्वार का भूमिपूजन किया जाएगा। भोपाल में बनने वाला एक द्वार राजा भोज को समर्पित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षाविद, जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र के भविष्य दृष्टा थे। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के देश के लिए अनुचित बताया था। डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्रहित में मंत्री पद त्याग कर कश्मीर में आंदोलन और लाल चौक पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया था।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में समग्र विकास की नई धारा को आगे बढ़ाया है। शहरों के अधोसंरचना विकास, शालेय शिक्षा और खेल को समान महत्व देते हुए कोलार क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सांदीपनि विद्यालय के साथ 155 करोड़ रूपए से अधिक लागत की सीवेज लाइन की सौगात भी मिल रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव लगातार प्रदेश में किसी न किसी स्थान पर सांदीपनि विद्यालय की सौगात दे रहे हैं। इसी क्रम में आज भोपाल के कटारा-बर्रई स्थित सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा, उनके कौशल उन्नयन के साथ उद्योगों में रोजगार के लिए भी व्यवस्था की जा रही है।

हुजूर विधायक श्री रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के गरीब, किसान सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का शुभारंभ क्षेत्र के युवाओं के लिए अनुपम सौगात है। यहां खिलाड़ियों के लिए 18 प्रकार के खेलों के अभ्यास की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (राज्यमंत्री) श्रीमती कृष्णा गौर, भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय, विधायक श्री भगवान दास सबनानी तथा बड़ी संख्या में खेल प्रेमी एवं नागरिक उपस्थित थे।

सीएम बोले- दिग्विजय सिंह नक्सलियों के लिए आंसू बहाते हैं, कहा- अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। कहा कि वो (राहुल गांधी) सेना से सबूत मांगते हैं और दिग्विजय सिंह यहां बोलते हैं। नक्सलियों को हमारी सेना मारती है और वो उनके लिए आंसू बहाते हैं। पता नहीं कांग्रेस कब सुधरेगी। सब एक जैसी लाइन पर ही चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, जिनके नाम पर ये स्टेडियम बना है, वे अद्वितीय व्यक्ति, जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद्, भविष्य दृष्टा रहे हैं। वे 31 साल में कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। आजादी के बाद भारत सरकार के मंत्री तो बने, लेकिन इसके साथ भविष्य में होने वाले संकट को भी पहचानते थे। धारा 370 जैसे कलंक को दुनिया के सामने बताया। उन्होंने नेहरूजी को भी इस बारे में बताया। चेताया भी, लेकिन नेहरूजी माने नहीं, क्योंकि अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। ये कांग्रेस की बीमारी ऐसी है।

डॉ. मोहन यादव से शहडोल के ग्राम विचारपुर के फुटबॉल खिलाड़ियों ने मंत्रालय में भेंट की।

वाइसराय कॉलोनी में हुए विवाद में नया खुलासा

शेखर के दोस्तों ने पहले किया हमला, हथियारों से लैस होकर आए थे, एसडीओपी के बेटे सहित 7 फरार

भोपाल (नप्र)। शाहपुरा थाना क्षेत्र की वाइसराय कॉलोनी में 20 नवंबर को हुए विवाद के बाद आरोपियों को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी करेरा में पदस्थ जिला पंचायत सीईओ संजीत श्रीवास्तव के बेटे शेखर श्रीवास्तव नाम के युवक को पीटने पहुंचे थे। हालांकि शेखर घर पर नहीं मिला, उसने अपने साथी विशाल, आकाश और नवल को कॉल कर कॉलोनी में भेजा।

यह तीनों स्कूटी पर सवार होकर कॉलोनी में पहुंचते हैं और हमला करने आए बाहरी युवकों को लाठी और डंडों से बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। हालांकि शेखर की मां की ओर से शाहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसमें उन्होंने कॉलोनी में हंगामा कर रहे सभी युवकों को उनके घर हमला करने वाला बताया था।

हमलावरों में अर्जुन चतुर्वेदी नाम के युवक को स्पॉट पर होना बताया गया, उसकी कार का नंबर एफआईआर में दर्ज कराया गया। जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई है कि जिस कार का नंबर एफआईआर में दर्ज कराया गया, वह कार घटना के समय नर्मदा अस्पताल के बाहर सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी में खड़ी थी। असल में शेखर और उसके दोस्तों ने अर्जुन को अरेरा हिल्स इलाके में बेरहमी से

पीटा था। उसे जमीन पर गिराकर उसके हाथ पर लातें मारीं, जिससे उसका एक हाथ फ्रेक्चर हो गया था, मारपीट में अर्जुन गंभीर घायल हुआ था। उसके दोस्त उसे अस्पताल में भर्ती कराने के बाद बात करने के इरादे से शेखर के घर पहुंचे थे। जहां शेखर के दोस्तों और उनके बीच विवाद हुआ।

अर्जुन के पिता बोले बात करने कॉलोनी गए थे बेटे के दोस्त- अर्जुन के पिता विकास चतुर्वेदी ने बताया कि जिस कार का नंबर एफआईआर में शाहपुरा थाने में दर्ज कराया गया, वह कार उनकी पत्नी के नाम रजिस्टर्ड है और वाइसराय कॉलोनी में हुए विवाद के दौरान नर्मदा अस्पताल पर थी। यह सही है कि अर्जुन के दोस्त कॉलोनी पहुंचे थे, लेकिन शेखर के नहीं मिलने की हालत में उन्होंने उसकी मां से सहज तरीके से बात की।

बच्ची से रेप, जनता सड़कों पर, 3 दिन से धरना जारी

रायसेन के गौहरगंज थाने पर प्रदर्शन, आरोपी पर इनाम 30 हजार किया, तलाश में जुटे 300 पुलिसकर्मी

मंडीदीप (रायसेन) (नप्र)। रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी 4 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपी के एनकाउंटर की मांग को लेकर लोग तीन दिन से गौहरगंज थाने के सामने धरना दे रहे हैं।

रात में कड़ाके की ठंड के बावजूद युवतियां और महिलाएं

धरने से नहीं उठीं। आरोपी पर इनाम बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दिया है। इससे पहले सोमवार को घटना के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया गया था।

डीआईजी प्रशांत खरे ने बताया, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें लगाई गई हैं। करीब 300 पुलिसकर्मी उसकी तलाश में जुटे हैं। बच्ची एम्स भोपाल में भर्ती है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत में सुधार है।

दरअसल, 21 नवंबर की शाम 6 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान 23 वर्षीय आरोपी सलमान उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने जंगल में ले गया। यहां बच्ची से दुष्कर्म कर भाग गया। बच्ची खून से लथपथ हालत में जंगल में मिली थी।

तीन दिन बीते, आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं?- स्थानीय निवासी परेश नागर ने कहा कि तीन दिन से महिलाएं थाने के सामने धरने पर बैठी हैं, लेकिन पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। हमारी मांग है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। वह कहीं दूर नहीं गया होगा, फिर तीन दिन बाद भी पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पा रही है? यह प्रशासनिक अक्षमता और पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है।

मकान मालिक बोला- आरोपी की मां ने किराए पर लिया था कमरा- आरोपी सलमान के मकान मालिक राकेश ने बताया कि उसकी मां बहुत गरीब थी। महीने भर पहले हमसे किराए पर एक कमरा लिया था। सलमान रहता नहीं था, लेकिन मां के पास आता-जाता रहता था।

थाने के सामने प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ी- मंगलवार दोपहर में गौहरगंज थाने के सामने प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहां ज्यादातर महिलाएं न्याय की मांग को लेकर बैठी हैं।

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता बोलीं, एमपी महिला अपराधों का केंद्र बना

रायसेन के पांजरा गांव में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर ने कहा कि 84 घंटे बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति साफ झलकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला अपराधों के मामले में मध्य प्रदेश अब देश में अपराधों का केंद्र बन गया है।

नवम्बर के आखिरी सप्ताह राहत, दिसंबर में कड़ाके की ठंड

चक्रवात के असर से बादल, दिन का पारा लुढ़का, रात का बढ़ा

भोपाल (नप्र)। अबकी बार मध्यप्रदेश ने नवंबर में ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। भोपाल में 84 साल बाद सबसे ज्यादा ठंड रही तो इंदौर में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा। लगातार 15 दिन तक प्रदेश में शीतलहर भी चली, लेकिन नवंबर के आखिरी सप्ताह में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया, अगले चार दिन तक प्रदेश में कहीं भी शीतलहर नहीं चलेगी।

इधर, साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) की वजह से प्रदेश में बादल छा रहे हैं। लगातार तीसरे दिन भोपाल समेत कई जिलों में हल्के बादल रहे। इससे दिन में ठंडक बढ़ गई है। भोपाल में दिन का तापमान 26.4 डिग्री रहा।

वहीं, बालाघाट के मलाजखंड में 25 डिग्री, रायसेन में 26.6 डिग्री, श्योपुर में 26.2 डिग्री, दतिया में 26.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक शर्मा ने बताया, बादलों की वजह से दिन के पारे में गिरावट हुई है, लेकिन रात का तापमान फिलहाल स्थिर रहेगा।

पहाड़ों में बर्फबारी जल्दी, इसलिए शीतलहर चली

बता दें कि प्रदेश में 6 नवंबर से ही कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया था। आमतौर पर नवंबर के दूसरे पखवाड़े से तेज ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार पहाड़ी राज्य- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में समय से पहले बर्फबारी हो गई।

इस वजह से बर्फीली हवाओं से एमपी भी कांप उठा। भोपाल में लगातार 15 दिन तक शीतलहर चली। रिकॉर्ड के अनुसार, साल 1931 के बाद शीतलहर के यह सबसे ज्यादा दिन है। दूसरी ओर, यहां रात का पारा 5.2 डिग्री तक पहुंच गया, जो ओवरऑल रिकॉर्ड भी रहा।

वर्तमान में हवा की दिशा बदल गई है। इस वजह से प्रदेश में उत्तर से ठंडी हवा नहीं आ रही है। इसलिए पिछले 3 दिन से प्रदेश में कहीं भी शीतलहर नहीं चली। ऐसा ही मौसम अगले चार दिन और बना रहेगा। यानी, इस सप्ताह कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान नहीं है, लेकिन दिसंबर के पहले सप्ताह में कड़ाके की ठंड का दौर फिर से शुरू हो जाएगा।

स्कूली बच्चों ने एआई से प्रिंसिपल का अश्लील फोटो बनाया, 4 छात्र सस्पेंड

विरोध में छात्रों ने चक्काजाम किया, प्राचार्य को हटाने की मांग पर अड़े

मंडला (नप्र)। मंडला में सांदीपनि स्कूल के स्टूडेंट्स ने एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से प्रिंसिपल की अश्लील तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इस मामले में प्रिंसिपल ने अनुशासनहीनता के आरोप में 4 छात्रों को सस्पेंड कर दिया।

छात्रों को सस्पेंड के विरोध में स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स ने मंगलवार सुबह निवास-मंडला मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन की समझाइश पर छात्रों ने करीब एक घंटे बाद चक्काजाम खत्म कर दिया। अब छात्र स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर प्रिंसिपल को हटाने की मांग पर अड़े हैं।

छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल वेद प्रकाश अवधिया प्रताड़ित करते हैं। बीईओ और अन्य अधिकारियों ने छात्रों से बात की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हैं। अब मंडला डीईओ मुन्नी वरकड़े निवास पहुंच गई हैं। वे बच्चों और प्रिंसिपल से चर्चा कर रही हैं।

प्रिंसिपल बोलीं- एक छात्र बच्चों को बरगला रहा है

प्रिंसिपल वेद प्रकाश अवधिया ने बताया, मामला 7 नवंबर का है जब स्कूल के 12वीं के तीन छात्र और एक छात्रा ने मेरा एआई से फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसको लेकर पुलिस में भी मैंने शिकायत की थी। इसके बाद स्कूल स्तर पर जांच कर चार छात्रों को एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इनमें एक छात्र सस्पेंशन मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद ही ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं। यही बच्चा दूसरे बच्चों को बरगला रहा है। एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों के सामने भी बच्चे को ले जाया गया था। ये बच्चे सिर्फ दबाव बनाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं।

घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे को इनविटेशन देने पहुंची दुल्हन

उज्जैन में बैंड-बाजे के साथ घर पहुंची; दुल्हन ने कहा- ये हमारे पूर्वजों की परंपरा

उज्जैन (नप्र)। मंगलवार को उज्जैन में हुई एक शादी ने सभी का ध्यान खींचा। यहां दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे को शादी का इनविटेशन देने पहुंची। रास्ते भर बैंड-बाजा, बाराती और जश्न के बीच दुल्हन की यह अनोखी एंट्री देखने सैकड़ों लोग रुक गए।

अहमदाबाद स्थित साउथ इंडियन बैंक में क्लास वन अधिकारी और इंडौर निवासी अपूर्वा ओझा की शादी उज्जैन के केजीसी होटल में हुई। फेरे से पहले अपूर्वा अपने होने वाले पति बड़ोदा निवासी हर्ष दवे को पूर्वजों के जमाने से चली आ रही परंपरा के तहत निमंत्रण देने के लिए सजे-धजे बारात के साथ पहुंचीं।

दुल्हन घोड़ी पर सजी-धजी, राहगीरों की नजरें थमीं- दुल्हन के जोड़े में सजी अपूर्वा जब चश्मा लगाकर घोड़ी पर बैठीं तो पूरा माहौल उत्साह से भर गया। करीब डेढ़ घंटे तक वह घोड़ी पर नाचते-गाते जुलूस के साथ चलती रहीं। हर कोई घोड़ी पर बैठी दुल्हन के फोटो-वीडियो बनाता दिखाई दिया। कई राहगीर लंबे समय तक जुलूस के साथ चलते रहे।

दुल्हन बोली- लड़के ही क्यों करें हमेशा फन- अपूर्वा ने बताया कि उनके समाज में यह प्रथा सालों से चली आ रही है। उन्होंने कहा- ये राजस्थान के श्रीमाली समाज की परंपरा है कि दुल्हन घोड़े पर बैठकर दूल्हे के पास जाती है। लड़के ही क्यों हमेशा फन करें? अपूर्वा ने कहा-हमारे समाज में महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से

कंधा मिलाकर चलने का मौका है। इसलिए मैंने यह परंपरा निभाने का फैसला किया। बहुत मजा आया। इंदौर, बैंगलोर और बड़ोदा से उनकी कई सहेलियां भी सिर्फ यह अनोखी परंपरा देखने उज्जैन पहुंची थीं।

दूल्हा बोला- आज भी निभा रहे वर्षों पुरानी परंपरा- अपूर्वा के होने वाले पति हर्ष ने दुल्हन की एंट्री पर खुशी जताते हुए कहा हमारे समाज में पहले दुल्हन और फिर दूल्हा घोड़ी पर बैठता है। यह वर्षों पुरानी परंपरा है। इसे निभाने पर मुझे गर्व है। दुल्हन का इस तरह घोड़ी पर सवार होकर पहुंचना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।

सशक्त किसान
समृद्ध मध्यप्रदेश
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
अन्नदाता को एमएसपी की गारंटी
सोयाबीन भावांतर योजना
अंतर्गत
1.34 लाख
किसानों को
₹249 करोड़
की राशि का अंतरण
इनगोरिया - देपालपुर मार्ग
निर्माण का भूमिपूजन
₹264 करोड़ के
विकास कार्यों का
भूमिपूजन एवं लोकार्पण
अब तक
4.39 लाख किसानों द्वारा
7.85 लाख मीट्रिक टन
सोयाबीन का विक्रय
मुख्यमंत्री
डॉ. मोहन यादव
द्वारा
26 नवम्बर, 2025
अपराह्न 1:00 बजे
गौतमपुरा, जिला इंदौर
मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
D-11150/25
सीधा प्रसारण
@Cmmadhyapradesh
@jansampark.madhyapradesh
@Cmmadhyapradesh
@jansamparkMP
JansamparkMP
आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025